


राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

मार्च, 2006



ग्राम एवं नगर नियोजन संगठन
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ सं.
1.0 परिचय	4
2.0 एनयूआईएस स्कीम के घटक	5
3.0 एनयूआईएस स्कीम के उद्देश्य	5
4.0 लक्षित उपलब्धियां	6
5.0 एनयूआईएस स्कीम का कार्यक्षेत्र	6
5.1 चयन के मानदंड	7
6.0 पद्धति	9
7.0 सुपुर्दगियां	10
8.0 वित्तपोषण पद्धति	13
8.1 निधि प्रबंधन का ढांचा	14
8.2 निधि जारी करने की शर्तें	16
9.0 क्षमता निर्माण	17
10.0 कार्यान्वयन की पद्धति	18
10.1 राष्ट्रीय/केन्द्रीय	19
10.2 राज्य	20
10.3 राज्य नोडल अभिकरण	21
10.4 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)	22
10.5 निजी क्षेत्र	23
10.6 समीक्षा और निगरानी	24
11.0 नीतिगत मुद्दे	25

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक-I	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम कार्यशाला की सिफारिशें (29-30, 2004 नवंबर)
अनुलग्नक-II	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम की संकल्पना
अनुलग्नक-III	एनयूआईएस चरण-I की गतिविधियां
अनुलग्नक-IV	उद्देश्यों का घटक-वार विवरण
अनुलग्नक-V	एनयूआईएस योजना के चरणबद्ध
अनुलग्नक-VI	नगरों के चयन हेतु मानदण्ड
अनुलग्नक-VII	मानचित्रण हेतु अंतरिम क्षेत्र के साथ एनयूआईएस योजना चरण-I नगरों की सूची
अनुलग्नक-VIII	सुविधा मानचित्रण के लिए नगरों की सूची
अनुलग्नक-IX	शहरों की ग्लोबल नमूना - यूएनसीएचएस - नमूना फ्रेम ट्रायल
अनुलग्नक-X	एनयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कदम
अनुलग्नक-XI	एनयूआईएस स्कीम डिजाइन मानक
अनुलग्नक-XII	संभावित उपकरण एवं सुविधाएं
अनुलग्नक-XIII	3 स्तरों में एनयूआईएस स्कीम की सहमति
अनुलग्नक-XIV	एनयूओ डेटाबेस के लिए सूचक
अनुलग्नक-XV	एनयूआईएस योजना के अंतिम वितरण योग्य
अनुलग्नक-XVI	एनयूआईएस योजना चरण-I बजट
अनुलग्नक-XVII	एनयूआईएस योजना में राज्य हिस्सा के लिए मापदंड (घटक वार)
अनुलग्नक-XVIII	74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनयूआईएस स्कीम का परिणाम
अनुलग्नक-: XIX	एनयूआईएस योजना के लिए क्षमता निर्माण योजना
अनुलग्नक-: XX	तकनीकी सलाहकार समिति की प्रयोगात्मक रचना (टीएसी)
अनुलग्नक-: XXI	राज्य नोडल एजेंसी को एनयूआईएस योजना प्रकोष्ठ की संकेतक संरचना
अनुलग्नक-: XXII	परियोजना संगठन
अनुलग्नक-: XXIII	नीति संबंधी मुद्दे

1.0 परिचय

देश में 5161 नगरों और शहरों में 4378 शहरी समूहों (यूए)/नगरों में 286 मिलियन शहरी जनसंख्या निवास करती है (जनगणना, 2001)। जहां शहरी जनसंख्या, रोजगार और शहरी अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है वहीं नगरों और शहरों में नियोजन, प्रबंधन और प्रशासन संबंधी विभिन्न समस्याएं आ रही हैं।

लगभग 75 प्रतिशत शहरी समूहों और नगरों में प्रणालीबद्ध शहरी विकास योजनाओं और अद्यतन मानचित्र सूचना तक पहुंच का अभाव है। स्थानिक डेटाबेस को शामिल करने वाले आयोजना क्रियाकलापों को सृजित क्षेत्रवार/विभागीय आंकड़ों के साथ समन्वित नहीं किया जाता और इसके परिणामस्वरूप शहरी आयोजना और प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर सृजित आंकड़े समन्वित नहीं हो पाते और निर्णय लेने में कोई सहयोग नहीं दे पाते।

स्थानिक सूचना जैसे चित्र और मानचित्र, अधिकतर विकासात्मक क्रियाकलापों के नियोजन और कार्यान्वयन; अवसंरचना विकास; आपदा प्रबंधन सहयोग; पर्यावरणीय निगरानी; प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और विभिन्न अन्य राष्ट्रीय क्रियाकलापों का आधार होते हैं।

योजना आयोग, भारत सरकार ने वर्ष 1983 में शहरी समूहों से संबंधित प्रमुख मुद्दों, अनुसंधान के लिए नये क्षेत्रों की पहचान करने और विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की सलाह देने संबंधी दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए शहरी प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति (एससी-यू) सहित 9 स्थायी समितियों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस) स्थापित की थी।

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता में शहरी प्रबंधन संबंधी एनएनआरएमएस स्थायी समिति (एससी-यू) का आयोजन करता है और एक समग्र राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) विकसित करने का प्रस्ताव एससी-यू द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिसे एक राष्ट्रीय मिशन मोड में शुरू किया जाना था।

एनयूआईएस उप समिति ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में विचारार्थ स्थायी समिति और योजना आयोग को स्थानिक डेटाबेस पर जोर देते हुए एनयूआईएस के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। योजना आयोग ने इसकी समीक्षा के बाद यह सुझाव दिया था कि शहरी क्षेत्र में सूचना प्रणाली के विकास से संबंधित विभिन्न स्कीमों और प्रस्तावों को एनयूआईएस स्कीम में मिलाये जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, एनएनआरएमएस (एससी-यू) द्वारा समर्थित एनयूआईएस की एकल स्कीम के अंतर्गत नगर स्तरीय जीआईएस डेटाबेस और राष्ट्रीय शहरी डेटाबेस और सूचक (एनयूडीबी एंड आई) स्थापित करने की दृष्टि से इस प्रस्ताव में संशोधन किया गया था। इस स्कीम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाना है।

इस प्रस्ताव पर राज्यों, चयनित शहरी स्थानीय निकायों और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों के साथ भी चर्चा की गई थी और नई दिल्ली में 19-20 नवम्बर, 2003 और बंगलुरु में 29-30

नवम्बर, 2004 के दौरान आयोजित दो एनयूआईएस स्कीम कार्यशालाओं में इसका समर्थन किया गया था। नवम्बर, 2004 में आयोजित चर्चा की सिफारिशें अनुलग्नक-1 में दी गई हैं।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि एनयूआईएस के लिए मानकीकरण महत्वपूर्ण है, एक उप समिति ने विषय वस्तु, अभिकल्प और एक राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाये जाने वाले स्थानिक ढांचे को दर्शाते हुए एनयूआईएस के कार्यान्वयन के लिए एक एनयूआईएस स्कीम अभिकल्प मानक दस्तावेज तैयार किया है।

2.0 एनयूआईएस स्कीम के घटक

एनयूआईएस स्कीम के दो प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

- **शहरी स्थानिक सूचना प्रणाली (यूएसआईएस)** - में मास्टर/क्षेत्रीय योजना; शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रशासन और सुविधा प्रबंधन में सहयोग करने के लिए अनुप्रयोग उपस्करों के साथ जीआईएस आधारित बहु-श्रेणीबद्ध डेटाबेस विकसित करना शामिल है।
- **राष्ट्रीय शहरी डेटाबेस और सूचक (एनयूडीबी एंड आई)** - में शहरी समूहों में स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राष्ट्रीय शहरी वेधशाला (एनयूओ) के लिए नियोजन में सहयोग करने और सूचकों को ज्ञात करने हेतु एक व्यापक डेटाबेस का अभिकल्प बनाना तथा इसे स्थापित करना और इन घटकों का समेकन शामिल है।

एनयूआईएस की संकल्पना अनुलग्नक-11 में दर्शायी गई है।

3.0 एनयूआईएस स्कीम के उद्देश्य

एनयूआईएस स्कीम का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए) की वैज्ञानिक आयोजना तथा कार्यान्वयन के प्रावधानों के परिदृश्य में नियोजन, प्रबंधन और विकेन्द्रित प्रशासन हेतु शहरी स्थानीय निकायों में एक व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित करना है और इसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार है :

- शहरी नियोजन तथा प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न द्वारा शहरी नियोजन एवं निर्णय सहयोग (अनुलग्नक-111) के विभिन्न स्तरों के लिए विशेषताएं और स्थानिक डेटाबेस विकसित करना
 - मास्टर/क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने में सहयोग करना।
 - कम से कम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध संबंधित कार्य की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर एक डेटाबेस तैयार करना।
 - मास्टर योजना के लिए 1:10,000 और विस्तृत नगर नियोजन स्कीमों के लिए 1:2,000 और सुविधाओं के नियोजन के लिए 1:1000 के पैमाने पर एक व्यापक त्रिस्तरीय जीआईएस डेटाबेस सृजित करने हेतु आधुनिक आंकड़ा स्रोत जैसे उपग्रह और एरियल प्लेटफार्म का प्रयोग करना।

- ग्राउंड प्रोफाइलिंग/पैनीट्रेटिंग राडार (जीपीआर) प्राद्योगिकी का प्रयोग करके प्रायोगिक आधार पर सुविधाओं के मानचित्रण में एक मॉडल विकसित करना।
- जीआईएस डेटाबेस विकसित करने के लिए पारम्परिक आंकड़ा स्रोतों और आधुनिक आंकड़ा स्रोतों का संयुक्त रूप से प्रयोग करना।
- डेटाबेस, पद्धति, उपकरण सॉफ्टवेयर, आंकड़ा आदान-प्रदान प्रारूप आदि के संबंध में यूएसआईएस और एनयूडीबी एंड आई के लिए मानक विकसित करना।
- शहरी नियोजकों/प्रशासकों/निर्णय करने वालों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु मास्टर/क्षेत्रीय नियोजन तथा सुविधाओं के प्रबंधन के लिए सूचना उपलब्ध कराने हेतु जीआईएस में स्वचालित एकीकरण/अनुप्रयोग तकनीकें विकसित करना।
- राष्ट्रीय शहरी आंकड़ा बैंक और सूचकों (एनयूडीबी एंड आई) के माध्यम से शहरी डेटाबेस की एक नगर स्तरीय भंडार-गृह सृजित करना जो प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय शहरी वेधशाला (एनयूओ) के लिए शहरी सूचकों को विकसित करने में भी सहयोग करेगी।
- नगर नियोजन पेशेवरों के बीच आधुनिक स्वचालित पद्धतियों के प्रयोग के लिए क्षमता निर्माण करना।
- नियोजन के विभिन्न स्तर पर आंकड़ा सृजन, भंडारण तथा समायोजन को विकेन्द्रित करना।

उद्देश्यों का घटकवार ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

4.0 लक्षित उपलब्धियां

उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम के कार्यान्वयन से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त किए जाने का अनुमान है :

- शहरी आवासीय क्षेत्रों का नियोजन एवं प्रबंधन भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्राद्योगिकी का प्रयोग करके आधुनिक नियोजन पद्धतियां अपना कर एक निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में अद्यतन तथा वैज्ञानिक डेटाबेस पर आधारित होगा।
- एनयूओ के लिए शहरी सूचकांक के विकास में सहयोग करते हुए स्थानिक तथा क्षेत्र विशिष्ट सूचना आधार का प्रयोग करके आंकड़ा सृजन, भंडारण तथा समायोजन।
- सरलता से एकीकरण और सूचना के आदान-प्रदान तथा प्रक्रियाओं के दोहराव के लिए मानकीकृत जीआईएस डेटाबेस, पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना।
- नगर नियोजन और संबंधित विभागों के बीच क्षमता निर्माण करना और आधुनिक स्वचालित पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए पेशेवरों का एक संवर्ग बनाना।

5.0 एनयूआईएस स्कीम का कार्यक्षेत्र

एनयूआईएस स्कीम को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करते हुए एक राष्ट्रीय मोड़ में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आदर्श रूप से इस स्कीम में देश के सभी 4378 शहरी समूहों और नगरों को शामिल किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम को 10वीं

योजना में शुरू किए जाने की आयोजना की गई थी, तथापि, यह महसूस किया गया है कि यह स्कीम, इसके पूर्ण कार्यान्वयन और सभी नगरों को शामिल किए जाने के लिए 11वीं योजना में आगे ले जायी जाएगी। एक संभावित अनुमान के अनुसार देश के सभी 4378 शहरी समूहों और नगरों में यूएसआईएस के विकास के लिए बजट लगभग 2000 करोड़ रुपये होगा (48 लाख रुपये प्रति नगर की दर से - 137 नगरों के लिए यूएसआईएस की लागत से निगमित)।

एनयूआईएस के कार्यान्वयन के लिए उन मानकों तथा प्रक्रियाओं को विकसित करना महत्वपूर्ण है जो नीचे दिए गए अनुसार 3 चरणों में बड़ी संख्या में शहरी समूहों को शामिल करने के लिए एक दोहराए जाने वाले मॉडल के रूप में विकसित किए जा सके।

- **चरण-I।** में जीआईएस डेटाबेस और शहरी आंकड़ा बैंक विकसित करने के लिए 137 प्राथमिकता नगरों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, 153 नगरों के लिए राष्ट्रीय शहरी वेधशाला (एनयूओ) के अंतर्गत सूचक विकसित करना और 24 नगरों के लिए ग्राउंड प्रोफाइलिंग/पैनीट्रेटिंग राडार (जीपीआर) का प्रयोग करके सुविधाओं का मानचित्रण करना शामिल है।

10वीं योजना (मार्च, 2007 तक) में लगभग 18 माह की अवधि के लिए इस चरण के दौरान किए गए प्रयासों में आने वाले चरणों के लिए कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने हेतु परीक्षण प्रक्रियाओं तथा मानकों को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

- **चरण-II।** में अप्रैल, 2007 से मार्च, 2009 तक और 1500 नगरों को शामिल करने के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है।
- **चरण-III।** में 11वीं योजना की शेष अवधि - अप्रैल, 2009 से मार्च, 2012 तक शेष नगरों (लगभग 3000) को शामिल करके स्कीम के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।

एनयूआईएस स्कीम के चरण अनुलग्नक-V में दर्शाए गए हैं।

5.1 चयन के मानदंड

चरण-I के दौरान देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व देने पर यथोचित रूप से विचार करते हुए राज्य सरकारों के साथ परामर्श से 137 शहरी समूहों और नगरों को अभिज्ञात किया गया है।

प्रत्येक राज्य में नगरों का चयन (क) राज्य में शहरी समूहों की संख्या, (ख) प्रत्येक राज्य में शुरू किए गए कार्य (शहरी मानचित्रण स्कीम के नगरों और राज्य के प्रयासों से शामिल किए गए नगरों को भी बाहर रखते हुए) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में कुल एनयूआईएस नगरों के कम से कम 10 प्रतिशत नगरों को शामिल किए जाने पर आधारित है।

देश के राज्यों को 4 राज्य श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है और प्रत्येक राज्य श्रेणी में चयनित नगरों की संख्या नगरों के चयन (संख्या) के अंतर्गत नीचे दी गई है।

क्र.सं.	राज्य की श्रेणी	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सं.	राज्य में नगरों की औसत संख्या	प्रति राज्य चयनित नगरों की सं.	शामिल किए गए कुल नगरों की संख्या
1	बृहत	11	285	6	66
2	अन्य	10	94	5	50
3	पूर्वोत्तर	7	18	2	14
4	संघ राज्य क्षेत्र	7	4	1	7
	कुल	35			137

उपर्युक्त वर्गीकरण में कुछ अपवादों के साथ मुख्य रूप से नगरों के आकार (भौगोलिक क्षेत्र) और संख्या के बीच संबंध को आधार बनाया गया है।

कुछ राज्यों (नगरों की संख्या के आधार पर) को आंकड़ों को संगत बनाने के लिए राज्यों की उपयुक्त श्रेणी में शामिल किया गया है जिससे इस स्कीम के अंतर्गत संसाधनों/प्रावधानों का समान आवंटन किया जा सके। नगरों के चयन के लिए मानदंडों का ब्यौरा अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

एनयूआईएस चरण-I के लिए चयनित 137 नगरों की अंतिम सूची अनुलग्नक-VII में दी गई है।

सुविधाओं के जीआईएस मानचित्रण के लिए 24 नगरों का चयन (अनुलग्नक-VIII) निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है :

- एनयूआईएस मानक समिति ने एनयूआईएस स्कीम के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर सुविधाओं के मानचित्रण के लिए 24 नगरों को शामिल करने का सुझाव दिया था।
- इन 24 नगरों में से 12 नगरों का चयन शहरी मानचित्रण स्कीम से किया गया था।
- शेष 12 नगरों का चयन शहरी मानचित्रण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए राज्यों में से किया गया था।

एनयूडीबी एंड आई के अंतर्गत आंकड़ा बैंक तैयार करने के लिए एनयूआईएस स्कीम के तहत चयनित सभी 137 नगरों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, एनयूओ के लिए सभी 137 नगरों के अतिरिक्त शताब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत यूएनसीएचएस द्वारा चयनित 25 नगरों (अनुलग्नक-IX) में से 16 वैश्विक नमूना शहरों को शामिल किया गया है (25 नगरों में से शेष 9 नगर 137 एनयूआईएस नगरों में हैं)। इस प्रकार एनयूओ के अंतर्गत शामिल नगरों की कुल संख्या 153 होगी। प्रति राज्य श्रेणी एनयूडीबी एंड आई और एनयूओ के प्रायोगिक अध्ययनों के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले नगरों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	राज्य श्रेणी	राज्यों/संघ राज्यों की संख्या	प्रति राज्य शामिल किए जाने वाले एनयूडीबी एंड आई/एनयूओ प्रायोगिक नगरों की संख्या	एनयूडीबी एंड आई नगरों की कुल संख्या	एनयूओ नगरों की कुल सं.
1.	बृहत	11	6	66	66
2.	अन्य	10	5	50	50
3.	पूर्वोत्तर	7	2	14	14
4.	संघ राज्य क्षेत्र	7	1	7	7
5.	वैश्विक नमूना शहर-यूएनसीएचएस	-	-	-	16
	कुल	35		137	153

6.0 पद्धति

सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए एक शहरी डेटाबेस विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एनयूआईएस स्कीम में आधुनिक नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधार पर एक पद्धति स्थापित करने की परिकल्पना की गई है (चित्र-1)।

एनयूआईएस स्कीम की स्थापना के लिए उठाए जाने वाले कदम अनुलग्नक-X में दिए गए हैं। स्थानिक डेटाबेस विकसित करने के लिए स्रोत तथा पद्धति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- 1:10,000 के पैमाने पर मानचित्रण के लिए बहुस्पैक्ट्रल उपग्रह चित्र।
- 1:2000 के पैमाने पर मानचित्रों के लिए चित्रों के प्रमुख स्रोत के रूप में एरियल सर्वेक्षण और चित्रण।
- इसरो/डीओएस जीपीएस लाइब्रेरी प्वाइंट से वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) का प्रयोग करके मानचित्रण के लिए चित्रों को सुधारा जाएगा/पंजीकृत किया जाएगा।
- प्रमुख-क्षेत्र नियोजन के लिए चयनित नगरों में 1:2000 के अनुपात में डेटाबेस से 1:1000 के पैमाने पर भूमिगत सुविधाओं के मानचित्रण के लिए ग्राउंड प्रोफाइलिंग/पैनीट्रेंटिंग राडार (जीपीआर) तकनीकें आधार के रूप में प्रयोग की जाएगी।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), एनयूआईएस स्कीम के स्थानिक डेटाबेस का प्रमुख भाग होगी। समेकन/अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए जीआईएस तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा जिससे नियोजन एवं प्रबंधन के लिए सूचना सृजित

की जाएगी। मानकीकरण समिति द्वारा तैयार किए गए अभिकल्प मानक अनुलग्नक-XI में दिए गए हैं।

- मानकीकृत जीआईएस आधारित अनुप्रयोग पैकेज, जिससे प्रयोक्ता नगरों/राज्यों में नियोजन प्रक्रिया के लिए विशिष्ट आंकड़े प्राप्त कर सकेंगे।
- अनुप्रयोग पैकेज जो प्रत्येक नगर के एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस के साथ जोड़े जाएंगे और नगर की एनयूआईएस स्कीम प्रणाली में प्रयोग किए जाएंगे (कुछ अनुमानित उपकरण और सुविधाएं अनुलग्नक-XII में दी गई हैं)।

राष्ट्रीय शहरी आंकड़ा बैंक और सूचक (एनयूडीबी एंड आई) को विकसित करने में प्रयुक्त स्रोत एवं पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- अनुलग्नक-XII में अभिज्ञात किए गए वास्तविक विभागीय कार्यों के संबंध में नियोजन एवं प्रबंधन में सहयोग करने हेतु प्रत्येक नगर के लिए एनयूडीबी एंड आई डेटाबेस शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाएगा/संकलित किया जाएगा, जिसे स्थानिक डेटाबेस के साथ जोड़ा जाएगा।
- इस प्रकार सृजित आंकड़ों को एनयूओ में सहयोग करने के लिए सूचकों को अभिज्ञात करने हेतु प्रक्रियान्वित किया जाएगा (अनुलग्नक- XIV)।
- इन सूचकों को अभिज्ञात करने के लिए अनुप्रयोग पैकेज विकसित किए जाएंगे जिससे इन्हें राष्ट्रीय शहरी सूचकांक में सहयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया जा सके, जिन्हें यूएनसीएचएस की वैश्विक शहरी वेधशाला (जीयूओ) में प्रेषित किया जाएगा।

7.0 सुपुर्दगियां

एनयूआईएस स्कीम की सुपुर्दगियों का अंतिम उत्पाद निम्नानुसार होगा:

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विकास/मास्टर योजना तैयार करने में सहयोग करने के लिए 1:10,000 के पैमाने पर मानकीकृत जीआईएस डेटाबेस और अधिकतर शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए 1:2,000 के पैमाने पर जीआईएस डेटाबेस और सुविधाओं के नियोजन के लिए 1:1000 के पैमाने पर सुविधाओं का जीआईएस डेटाबेस। उत्पाद घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे;
 - मानचित्रित एनयूआईएस स्कीम नगरों के चित्रों के कांटेक्ट प्रिंट का एक सेट।
 - मानचित्रित एनयूआईएस स्कीम नगरों के डिजीटल आर्थोफोटो की प्रति का एक सेट।
 - चित्रों के आंकड़ों जैसे फोटो इंडेक्स, चित्र की तारीख और जीसीपी आदि का एक सेट।
 - वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) के आंकड़े।
 - 1:2000 के पैमाने पर डेटाबेस से ग्राउंड पैनीट्रेंटिंग राडार (जीपीआर) तकनीकों का प्रयोग करके 1:1000 के पैमाने पर सुविधाओं के मानचित्र।


- उपर्युक्त दोनों पैमानों में से प्रत्येक के लिए डिजीटल और हार्ड कलर कॉपी प्रारूप में नगर स्तरीय मोजाइक बेस मैप (लाइन मैप) का एक सेट।
- मानकों के दस्तावेज में विनिर्दिष्ट सभी परतों को शामिल करते हुए जीआईएस आंकड़ा सेटों का एक सेट।
- उपर्युक्त जीआईएस सॉफ्टवेयर वाली कंप्यूटर प्रणालियों के साथ प्रमुख रूप से प्रशिक्षित कार्मिक।
- प्रयोक्ताओं के लिए सरल अनुप्रयोग सुविधाओं का एक सेट जिससे नियोजन एवं प्रबंधन क्रियाकलापों के लिए एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस से आंकड़े प्राप्त किए जा सकेंगे।

एनयूआईएस स्कीम की अंतिम सुपुर्दगियां अनुलग्नक-XV में दर्शायी गई हैं।

उपर्युक्त सुपुर्दगियों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक नगर में एनयूआईएस स्कीम को प्रदर्शित करने वाली कंप्यूटर प्रणाली और राज्य नोडल अभिकरण अभिज्ञात कर लिया गया है।

- **राज्य नोडल अभिकरण स्तर**
 - एक मध्यम स्तरीय वर्क स्टेशन; प्लॉटर और अन्य उपकरण
 - चित्र विश्लेषण सॉफ्टवेयर और जीआईएस सॉफ्टवेयर।
- **नगर स्तरीय**
 - उच्च स्तरीय पीसी आधारित प्रणालियां; डिजीटाइजर्स; प्लॉटर और अन्य उपकरण
 - चित्र विश्लेषण सॉफ्टवेयर और जीआईएस सॉफ्टवेयर।

चित्र 1: कार्यप्रणाली



- नोट:**
- 1 उपयोगिता मापन हेतु चयनित 24 शहरों में से 12 शहरों को 137 एनयूआईएस शहरों की सूची में से चुना गया है और बाकी 12 शहरों को शहरी मापन योजना (एनयूआईएस योजना मानक समिति की सिफारिश के अनुसार) के तहत व्याप्त 53 शहरों की सूची से लिया गया है।
 - 2 शहरी संकेतक कार्यक्रम के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत यूएनसीएचएस द्वारा भारत से 25 सार्वभौम नमूना शहरों को चुना गया है। इन 25 शहरों में से 9 शहरों को 137 एनयूआईएस शहरों की सूची में शामिल किया गया है। शेष 16 सार्वभौम नमूना शहरों को भी एनयूओ डाटाबेस हेतु विचार किया गया है जिसका कुल 153 शहर होते हैं (137+16 = 153)।

8.0 वित्तपोषण पद्धति

एनयूआईएस स्कीम की संकल्पना, केन्द्र से 75 प्रतिशत और राज्य से 25 प्रतिशत के अनुपात में अनुदान पर आधारित वित्तपोषण पद्धति से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में की गई है। तथापि, नीचे पैरा 8.1.1 में वित्त प्रबंधन की संरचना में दिए गए अनुसार प्रणाली घटक की हिस्सेदारी में केन्द्र सरकार का हिस्सा 64 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 36 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण में किसी आवृत्ति लागत को शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य स्तरीय एनयूआईएस स्कीम प्रकोष्ठ में प्रचालन की लागत के अतिरिक्त स्थल एवं स्टाफ घटक में वृद्धि के लिए लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख बजट घटक हैं :

- (क) प्रणाली (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)
- (ख) बेस मैप और जीआईएस डेटाबेस 1:10000 के पैमाने पर; जीआईएस डेटाबेस 1:2000 के पैमाने पर।
- (ग) क्षमता निर्माण।
- (घ) सुविधाओं का मानचित्रण (24 नगर)
- (ङ) अनुप्रयोग विकास
- (च) विविध एवं परियोजना प्रबंधन
- (छ) एनयूओ सहित एनयूडीबी एंड आई

एनयूआईएस चरण-1 के लिए बजट लगभग 66.28 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें दोनों घटक अर्थात् यूएसआईएस (62.89 करोड़ रुपये) और एनयूडीबी एंड आई (3.39 करोड़ रुपये) शामिल हैं (अनुलग्नक-XVI)। केन्द्र और राज्य के हिस्से के आधार पर कुल परिव्यय क्रमशः 49.71 करोड़ रुपये और 16.57 करोड़ रुपये है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय हिस्से का 10 प्रतिशत से अधिक आवंटन शामिल है।

केन्द्र/राज्य हिस्से की घटकवार गणना कुछ प्राचलों जैसे (क) नगर श्रेणी, (ख) नगर के भौगोलिक क्षेत्र और (ग) राज्य की श्रेणी के आधार पर कुछ मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर

की गई है। एनयूआईएस स्कीम के चरण-1 के बजट और केन्द्र तथा राज्य हिस्से की गणना के लिए मानदंडों का घटकवार ब्यौरा अनुलग्नक-XVII में दिया गया है।

8.1 निधि प्रबंधन का ढांचा

उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से का उपयोग तथा इसे जारी किए जाने का कार्य निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा:

8.1.1 केन्द्र

- जीआईएस डेटाबेस (1:10,000, 1:2,000 के लिए), सुविधाओं के मानचित्रण (1:1000 के पैमाने पर), क्षमता निर्माण, अनुप्रयोग विकास, परियोजना प्रबंधन, प्रणाली (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर), एनयूडीबी एंड आई और एनयूडीबी एंड आई के अंतर्गत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं से संबंधित निधि का प्रबंधन और इसे जारी किए जाने का कार्य केन्द्रीय स्तर पर टीसीपीओ/शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जीआईएस डेटाबेस से संबंधित निधि कार्य करने वाले अभिकरण को 3 किस्तों में अर्थात् प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त के रूप में क्रमशः केन्द्रीय हिस्से की 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय, कार्य करने वाले अभिकरण द्वारा कार्य पूरा किए जाने तक और शहरी विकास मंत्रालय को अथवा इसके अभिकर्ताओं को सौंपे जाने तक तीसरी/अंतिम किस्त अपने पास रोक कर रखेगा। राज्य हिस्से की शेष 25 प्रतिशत निधि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्य करने वाले अभिकरण को दी जाएगी।
- क्षमता निर्माण, परियोजना प्रबंधन और विविध व्यय, जो कि साझा लागत घटक हैं, के अंतर्गत निधि का प्रबंधन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें अपनायी गई मूल्यांकन पद्धति के आधार पर परिकलित राज्य हिस्से का अंशदान शामिल होगा (अनुलग्नक-XVI)।
- चूंकि साझा लागत घटकों का व्यय अलग से रखी गई एकमुश्त अनुमानित राशि होती है जिसमें राशि तथा अवधि के संबंध में व्यय की कोई निश्चित पद्धति नहीं होती, इसलिए केन्द्र द्वारा इन घटकों का राज्य हिस्सा एक घटक अर्थात् प्रणाली (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) पर इस लागत के 25 प्रतिशत का भार डालकर सुरक्षित किया जाएगा। परिणामस्वरूप साझा घटकों का केन्द्रीय हिस्सा 100 प्रतिशत रहेगा, जबकि प्रणाली घटक की हिस्सेदारी बदलकर केन्द्रीय हिस्सा 64 प्रतिशत और राज्य हिस्सा 36 प्रतिशत हो जाएगा। एनयूआईएस घटक का कुल समग्र राज्य हिस्सा 25 प्रतिशत रहेगा।
- साझा लागत घटकों की अप्रयुक्त/कम प्रयुक्त राशि जीआईएस डेटाबेस लागत के लिए जारी की जाएगी और तदनुसार इन लागतों के लिए जारी की गई राज्य

हिस्से की राशि का तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के अनुमोदन से पुनः निर्धारण किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय, एनयूआईएस स्कीम की तकनीकी सलाहकार समिति की अनुमोदित विशिष्टताओं के आधार पर प्रणालियों की अधिप्राप्ति के लिए निधि जारी करेगा, जो कि राज्यों को राज्य नोडल अभिकरणों अर्थात् राज्य नगर नियोजन विभागों (एसटीपीडी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में अधिप्राप्ति तथा संस्थापन के लिए जारी की जाएगी।

8.1.2 राज्य/राज्य नोडल अभिकरण

- इन्हें एनयूआईएस स्कीम की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई विशिष्टताओं के आधार पर ऊपर पैरा 8.1.1 में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रणालियों (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) की अधिप्राप्ति के लिए केन्द्रीय हिस्से से 64 प्रतिशत तक की एक निर्धारित राशि प्राप्त होगी।
- इन्हें नीचे दी गई तालिका के अनुसार राज्य श्रेणी के आधार पर एनयूडीबी एंड आई और एनयूओ के लिए निधि प्राप्त होगी:

क्र.सं.	राज्य श्रेणी	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सं.	प्रति राज्य एनयूडीबी एंड आई प्रकोष्ठ आवंटन (रूपये लाख में)	कुल एनयूडीबी एंड आई प्रकोष्ठ आवंटन (रूपये लाख में)	प्रति राज्य शामिल किए जाने वाले एनयूओ प्रायोगिक नगर	एनयूओ के अंतर्गत कुल आवंटन (रूपये लाख में) प्रति नगर एक लाख रूपये की दर से
1	बृहत	11	6	66	6	66
2	अन्य	10	6	60	5	50
3	पूर्वोत्तर	7	3	21	2	14
4	संघ राज्य क्षेत्र	7	3	21	1	07
5	वैश्विक नमूना शहर-यूएनसीएचएस	-	-	-	16	16
	कुल	35		168		153

- जहां राज्य नोडल अभिकरण और एनयूआईएस स्कीम नगर एक ही है वहां एनयूआईएस स्कीम नगर की कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर इकाइयां राज्य नोडल अभिकरण को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्यों को केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त होगा (घटक के 75 प्रतिशत तक), जो कि बजट में अनुमानित राशि के रूप में जारी की जाने वाली अधिकतम राशि होगी। राज्यों द्वारा राज्यों के विवेकानुसार कार्य अथवा अतिरिक्त कार्य की निर्धारित मात्रा के लिए किया गया कोई अतिरिक्त व्यय राज्य की निधि/स्रोतों से वहन किया जाएगा।

8.1.3 शहरी स्थानीय निकाय

- इन्हें राज्य नोडल अभिकरण के माध्यम से एनयूओ के लिए प्रायोगिक अध्ययन करने हेतु प्रणालियां (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) और निधि प्राप्त होगी।

8.2 निधि जारी करने की शर्तें

8.2.1 केन्द्रीय सहायता जारी करना

- केन्द्रीय हिस्से की स्वीकृति राज्य हिस्सा जारी किए जाने/इसकी स्वीकृति की शर्त पर दी जाएगी।
- विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संपूर्ण लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी।
- एनयूआईएस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से चयनित घटकों अर्थात् पद्धतियों, एनयूडीबी एंड आई और एनयूओ का हिस्सा गैर आवृत्ति अनुदान के रूप में राज्य नोडल अभिकरण को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
- केन्द्रीय अनुदान के रूप में जारी की जाने वाली राशि, जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात राज्य सरकार नोडल अभिकरण के माध्यम से दी जाएगी।
- केन्द्र सरकार द्वारा राशि जारी किया जाना (क) परियोजना के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन और (ख) पूर्व में जारी की गई निधि के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने, (ग) एनयूआईएस स्कीम राज्य समन्वय समिति (एससीसी) की समीक्षा तथा सिफारिश और (घ) राज्य हिस्से की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
- एनयूओ के लिए केन्द्रीय हिस्सा दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा। जब भी राज्य का संगत हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा तब प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रीय हिस्से की 50 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी और दूसरी किस्त एनयूडीबी एंड आई के प्रारूप के अनुसार आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा संकलन के बाद ही एससीसी की सिफारिश पर जारी की जाएगी।
- एनयूआईएस स्कीम राज्य समन्वय समिति (एससीसी), राज्य नोडल अभिकरण को अभिज्ञात करेगी और अधिसूचित करेगी, जो राज्य स्तर पर निधि का रखरखाव करेगा और इसे स्थानीय निकायों/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को अग्रेषित करेगा।

- केन्द्रीय हिस्सा दो किस्तों में घटकवार जारी किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त जारी किया जाना एनयूआईएस स्कीम राज्य समन्वय समिति (एससीसी) द्वारा राज्य हिस्से के अनुमोदन तथा स्वीकृति पर निर्भर करेगा। तथापि, आगे की किस्तें जारी किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :
 - I. पूर्व में जारी की गई निधि के उपयोग के साथ परियोजना का निष्पादन,
 - II. प्रस्तावित परियोजना की स्कीम के दिशानिर्देशों के साथ अनुरूपता,
 - III. इसके अतिरिक्त, आगे की किस्तों को जारी किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होगा :
 - पात्र व्यय, जारी किए गए केन्द्रीय हिस्से और राज्य हिस्से के 70 प्रतिशत से अधिक होना।
 - केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने की तारीख से 12 माह के अंदर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना।
- एनयूआईएस स्कीम की संकल्पना 74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम माध्यम (एनयूआईएस डेटाबेस) के रूप में की गई है, इसके परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा पैरा 243 डब्ल्यू के अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए कुछ नीतिगत प्रावधान कार्यान्वित किए जाएंगे (अनुलग्नक-XVIII)।
- अनुलग्नक-XVIII में संदर्भित 10 अभिज्ञात कार्यों में से कम से कम 5 प्रमुख कार्यों में एनयूआईएस स्कीम के डेटाबेस का प्रयोग किया जाएगा।
- एनयूआईएस स्कीम के चरण-1 के लिए निधि का प्रबंधन टीसीपीओ/शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण व्यय टीसीपीओ की सिफारिश के अनुसार किया जाएगा। संविदा पर ली गई/प्राप्त की गई मदों पर व्यय की गई वास्तविक राशि कार्य की संविदा/कार्य आदेशों/खरीद आदेशों आदि पर आधारित होगी।

8.2.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राशि जारी किया जाना

- एनयूआईएस राज्य समन्वय समिति (एससीसी)/एनयूआईएस संघ राज्य क्षेत्र समन्वयन समिति (यूटीसीसी), एनयूआईएस के प्राक्कलित राज्य हिस्से की 25 प्रतिशत राशि स्वीकृत करेगी।
- संस्थागत वित्तपोषण को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया प्रतिस्थापित करने के लिए इच्छुक एनयूआईएस अभिज्ञात शहरी स्थानीय निकायों से भी राज्य हिस्सा प्राप्त/सृजित किया जा सकता है।
- एनयूआईएस स्कीम प्रकोष्ठ के संवर्धन के कारण सिविल, विद्युत कार्यों आदि, भूमि एवं भवन (स्थल एवं सेवाओं) से संबंधित व्यय पूर्णतया राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

9.0 क्षमता निर्माण

एनयूआईएस योजना की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता नगरों और राज्यों में प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता है। प्रशिक्षण 3 स्तर पर अनुमानित है :

- **प्रचालक और तकनीशियन स्तर-** जो कि मुख्य रूप से राज्य/नगर के कार्मिकों को आंकड़े प्राप्त करने, एनयूआईएस स्कीम और डेटाबेस के रखरखाव तथा प्रचालन के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए होगा। इसमें एनयूआईएस स्कीम के अभिकल्प का ब्यौरा भी शामिल किया जाएगा। यह 4 सप्ताह की अवधि का होगा।
- **नियोजन स्तर-** इसमें मुख्य रूप से राज्य/नगर के कार्मिकों को शहरी नियोजन एवं प्रबंधन के लिए आंकड़े प्राप्त करने हेतु एनयूआईएस स्कीम और डेटाबेस का प्रयोग करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह दो सप्ताह की अवधि का होगा।
- **प्रशासक स्तर-** यह मुख्य रूप से एनयूआईएस स्कीम के संबंध में अभिविन्यास के रूप में होगा। यह 3 दिन की अवधि का होगा।

अनुलग्नक-XIX में एनयूआईएस स्कीम के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रम का कुछ ब्यौरा दर्शाया गया है। यह अनुमान है कि 137 नगरों में से प्रत्येक में एनयूआईएस के लिए 4 प्रशिक्षित कार्मिक होंगे और इस तंत्र के माध्यम से पर्याप्त क्षमता सृजित की जाएगी।

प्रत्येक नगर से 4 व्यक्तियों और राज्य नोडल अभिकरण से दो व्यक्तियों के आधार पर प्रति कार्यक्रम 20 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 2 वर्ष की अवधि में लगभग 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 600 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना होगा। क्षमता निर्माण में सहभागिता के लिए प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने हेतु यातायात की लागत स्कीम की निधि से वहन की जाएगी। प्रशिक्षण को प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईआईआरएस देहरादून, आईआरएस चेन्नई, एसटीआई हैदराबाद, आरआरएसएससी और राज्य दूर संवेदन केन्द्रों के माध्यम से एक नेटवर्किंग आधार पर विकेन्द्रित किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देकर और अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके सुपुर्दगियों तथा प्रशिक्षण क्षमता की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए टीसीपीओ (एनयूआईएस सचिवालय) में कार्मिकों के कौशल तथा ज्ञान के संबंध में संसाधन सृजित करना/अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

10.0 कार्यान्वयन की पद्धति

यह देखते हुए कि एनयूआईएस स्कीम में केन्द्रीय, राज्य, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न अभिकरणों को शामिल करते हुए कार्यों की भिन्न-भिन्न व्यापक श्रेणियां हैं, कार्यान्वयन तंत्र अत्यधिक जटिल हो जाता है। कार्य की मात्रा बहुत बड़ी होने के कारण न केवल तकनीकी विशेषज्ञता वाले विभिन्न सरकारी अभिकरणों को शामिल किए जाने की आवश्यकता होगी बल्कि सक्षम निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाना होगा जो जीआईएस और दूर संवेदन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं दे सकते हैं।

कार्यान्वयन एवं प्रबंधन के ढांचे को नीचे दिए गए अनुसार स्कीम में विशिष्ट भूमिका निर्धारित करते हुए मुख्य रूप से केन्द्र, राज्य, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

10.1 राष्ट्रीय/केन्द्रीय

10.1.1 शहरी विकास मंत्रालय

- एनयूआईएस स्कीम के लिए आवश्यक नीतिगत एवं तकनीकी निर्देश देने के लिए सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एनएनआरएमएस एससी-यू सर्वोच्च समन्वयक, मार्गदर्शी तथा समीक्षा निकाय होगा।
- शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्राम एवं नगर नियोजन संगठन (टीसीपीओ) नोडल अभिकरण होगा, जो मिशन के प्रबंधन के लिए अभिज्ञात एनयूआईएस स्कीम समन्वयक को इसके प्रमुख के रूप में और अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्मिकों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम की पूर्ण जिम्मेदारी के साथ एनयूआईएस सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

10.1.2 सहयोगी अभिकरण

- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तकनीकी कार्यान्वयन के समन्वय तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय मुद्दों (मानक, पद्धति की विशेषताओं, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं, समीक्षा/मूल्यांकन आदि) का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, चयनित राज्य नोडल अभिकरणों आदि को शामिल करते हुए एक एनयूआईएस तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) गठित की जाएगी। एनयूआईएस तकनीकी सलाहकार समिति आवश्यकता होने पर विशिष्ट तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक उप समितियां स्थापित कर सकती है।

मुख्य रूप से टीएसी का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित होगा:

- एनयूआईएस स्कीम में प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों की सिफारिश करना।
- एनयूआईएस स्कीम के मानकों के दस्तावेज का मूल्यांकन करना और इनका अनुमोदन करना।
- लागत प्रभावी समाधानों का मूल्यांकन करना और इनकी सिफारिश करना।
- अधिप्राप्ति के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधानों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना।
- एनयूआईएस स्कीम में संविदा पर नियुक्ति के लिए तकनीकी विशिष्टताओं एवं क्षमताओं का मूल्यांकन करना।

- अनुप्रयोग विकास का मूल्यांकन करना और इसे दिशा देना/चैनलीकृत करना।
- एनयूआईएस स्कीम के नगरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को अभिज्ञात करने तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में क्षमता निर्माण के लिए कार्यनीतियों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना।
- बदल रही प्रौद्योगिकियों और पूर्व के कार्यों से सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए डेटाबेस के विकास में पद्धतियों की समीक्षा करना और संशोधनों का सुझाव देना।

टीएसी का अस्थायी संघटन अनुलग्नक-XX में दिया गया है।

- अंतिम रूप से कार्य करने की जिम्मेदारी उस अभिकरण पर होगी जिसे टीसीपीओ/शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय के अंतर्गत कार्य सौंपा गया है।
- एनयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयनकारी अभिकरणों पर डेटाबेस के अंतरण के बाद 12 माह की अवधि के लिए राज्य नोडल अभिकरणों के साथ मिलकर कार्य करने की भी जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार संयुक्त रूप से कार्य करने की लागत संविदा दस्तावेज में एक शर्त के रूप में निर्धारित डेटाबेस सृजन की लागत का एक भाग होगी।
- टीसीपीओ के कार्यान्वयन के अंतर्गत एनयूआईएस स्कीम का पाठ्यक्रम आयोजित करने एवं इसे तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में आईआईआरएस देहरादून, आईआरएस चेन्नई, एसटीआई हैदराबाद, आरआरएसएससी और राज्य दूरसंवेदन केन्द्रों आदि को शामिल किया जाएगा।

10.2 राज्य

एनयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयन के तहत संबंधित राज्य सरकारें निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध होंगी :

- शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श से निम्नलिखित के निगरानी/समीक्षा अभिकरण के रूप में राज्य स्तर पर (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) एक एनयूआईएस स्कीम राज्य समन्वय समिति (एससीसी) की स्थापना करना :
 - राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करना।
 - टीसीपीओ के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता जारी करने का अनुमोदन देना एवं सिफारिश करना।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एनयूआईएस स्कीम राज्य कार्यान्वयन समिति (एससीसी) का संघटन निम्नानुसार होगा :

सचिव, शहरी विकास/शहरी स्थानीय निकाय/लोक निर्माण	अध्यक्ष
सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का वित्त विभाग	सदस्य
सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नियोजन विभाग	सदस्य
सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल आपूर्ति एवं सीवरेज, विद्युत, दूर संचार विभागों का मुख्य अभियंता	सदस्य
टीसीपीओ और शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन/राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एकीकृत स्कीम के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
निदेशक, राज्य ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग	सदस्य
प्रमुख पणधारियों का प्रतिनिधि/नामित पेशेवर	आमंत्रित
राज्य नोडल अभिकरण का प्रमुख	सदस्य सचिव

- राज्य सरकारें आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के संघटन में परिवर्तन कर सकती है।
- राज्य में नोडल अभिकरण का प्रमुख स्कीम का नोडल अधिकारी होगा।
- शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय/टीसीपीओ का प्रतिनिधि नामित करेगा।

10.3 राज्य नोडल अभिकरण

- सामान्यतः संबंधित राज्य में एनयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए राज्य नगर नियोजन विभाग (एसटीपीडी), राज्य नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा जब तक कि एनयूआईएस स्कीम राज्य समन्वय समिति (एससीसी) द्वारा किसी और विकल्प की सिफारिश न की जाए।
- राज्य नोडल अभिकरण, राज्य में शहरी समूहों के लिए एनयूआईएस स्कीम सचिवालय (टीसीपीओ) के साथ समन्वय से नियोजन एवं प्रबंधन के लिए जीआईएस डेटाबेस का कार्यान्वयन करने और अपनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तथा तंत्र उपलब्ध करायेगा।

- राज्य नोडल अभिकरण यूएसआईएस और एनयूडीबी एंड आई इकाइयों के लिए स्पष्ट रूप से अभिज्ञात कार्मिकों (अनुलग्नक-XXI) के साथ राज्य एनयूआईएस स्कीम प्रकोष्ठ स्थापित करेगा।
- एनयूआईएस स्कीम के एक भाग के रूप में संबंधित राज्य नोडल अभिकरण निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध होगा :
 - राज्य में एनयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अभिकरण और नोडल अभिकरण के प्रमुख को अभिज्ञात करना।
 - एनयूआईएस स्कीम प्रकोष्ठ को बढ़ाने के लिए चिन्हित भूस्थल के साथ प्रकोष्ठ की स्थापना करना।
 - राज्य के लिए एनयूडीबी एंड आई डेटाबेस और स्थानीय शहरी वेधशाला (एलयूओ) स्थापित करना।
 - एनयूआईएस स्कीम के प्रचार एवं प्रयोग के लिए एनयूआईएस स्कीम के संबंध में प्रशिक्षित कार्मिकों का एक समूह स्थापित करना।
 - एनयूआईएस स्कीम को विकसित करने, इसका रखरखाव एवं प्रयोग करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण, निगरानी एवं मार्गदर्शन करना।
 - शहरी विकास मंत्रालय को राज्य के एनयूआईएस स्कीम संबंधी क्रियाकलापों के लिए दैनिक एवं नियमित रिपोर्ट देना और इस संबंध में सूचना देना।
- राज्य नोडल अभिकरण द्वारा एनयूआईएस स्कीम नगरों में से एनयूओ प्रायोगिक अध्ययन के लिए नगरों का चयन किया जा सकता है और यह अध्ययन एनयूडीबी एंड आई घटक के अंतर्गत किया जा सकता है।
- एनयूओ अध्ययन राज्य नियोजन विभागों/शहरी स्थानीय निकायों/आऊटसोर्स द्वारा नियुक्त अभिकरण द्वारा किया जा सकता है।

10.4 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)

10.4.1 नगर

राज्य एनयूआईएस नोडल अभिकरण अपने एनयूआईएस प्रकोष्ठ के माध्यम से चयनित नगरों के क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करेगा, आंकड़ा आधार तैयार किए जाने की सफलता शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता एवं सहयोग, विशेष तौर पर एनयूडीबी एंड आई के संदर्भ में जहां नियमित एवं आवधिक आंकड़े एकत्रित तथा संकलित किए जाने होते हैं, पर निर्भर करेगी।

- एनयूआईएस स्कीम के तहत प्रत्येक नगर/शहर पर निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं होंगी:

- किसी नगर के एनयूआईएस स्कीम क्रियाकलापों के लिए नगर में राज्य की सहमति के अनुसार एक केन्द्र बिन्दु/अभिकरण (निगम, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण आदि) की पहचान करना।
- एनयूआईएस स्कीम विकसित करने, स्वीकृत करने तथा प्रचालित करने के लिए उचित स्तर पर कार्मिक सहयोग उपलब्ध करा कर एनयूआईएस स्कीम के विकास में सहयोग करना।
- एनयूआईएस स्कीम के रखरखाव एवं प्रयोग के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने पर सहमति।
- एनयूआईएस स्कीम प्रणाली और डेटाबेस को रखने के लिए उपयुक्त स्थान अभिज्ञात करना।
- एनयूआईएस स्कीम प्रणाली और डेटाबेस के रखरखाव तथा अद्यतनकरण पर सहमति।
- विभिन्न शहरी विभागों से एनयूआईएस स्कीम की विशेषताओं संबंधी आंकड़े एकत्रित करना एवं संकलित करना।
- मास्टर/क्षेत्रीय योजना तैयार करने/संशोधित करने पर सहमति; एनयूआईएस स्कीम के डेटाबेस का प्रयोग करके नगर का प्रशासन और सुविधाओं का प्रबंधन करना (जहां सुविधाओं के मानचित्रण के लिए नगर का चयन किया गया है)।
- एनयूआईएस को उनके स्वयं के प्रयासों से और अद्यतन करना।
- राज्य नोडल अभिकरण को नगर के एनयूआईएस स्कीम क्रियाकलापों की दैनिक एवं नियमित रिपोर्ट तथा सूचना उपलब्ध कराना।

10.5 निजी क्षेत्र

राज्य सरकारें/एनयूआईएस स्कीम राज्य समन्वय समिति (एससीसी) संभावित सीमा तक निजी क्षेत्र को शामिल किए जाने अथवा सार्वजनिक-निजी सहभागिता को अपनाने की सिफारिश और इसका प्रोत्साहन कर सकती हैं।

- निजी क्षेत्र मुख्य रूप से एनयूआईएस स्कीम के लिए सेवाएं एवं उत्पाद उपलब्ध करा सकता है। इस संबंध में यह एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, विशेष तौर पर जब बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता हो।
- राज्य नोडल अभिकरण के विवेकानुसार सक्षम निजी और स्वायत्त अभिकरणों द्वारा भी एनयूओ अध्ययन किए जा सकते हैं।

इस प्रकार एनयूआईएस स्कीम का कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय के नेतृत्व में और उपर्युक्त सभी को शामिल करते हुए एक अंतर अभिकरण प्रयास होना चाहिए। एक व्यापक परियोजना संघटन अनुलग्नक-XXII में दिया गया है।

10.6 समीक्षा और निगरानी

एनयूआईएस क्रियाकलापों की निम्नानुसार नियमित आधार पर समीक्षा प्रस्तावित है :

- एनएनआरएमएस एससी-यू द्वारा वार्षिक रूप से - विशेष तौर पर समग्र प्रगति और उपलब्धियों की निगरानी/समीक्षा और अंतर-अभिकरण मुद्दों के समाधान के लिए।
- निम्न द्वारा तिमाही में एक बार
 - एनयूआईएस तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा - विशेष तौर पर तकनीकी मुद्दों की प्रगति की निगरानी करने और तकनीकी कार्यान्वयन की भी निगरानी करने के लिए।
 - एनयूआईएस स्कीम राज्य समन्वय सलाहकार समिति (एससीसी) प्रत्येक तिमाही में बैठक करेगी और विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - क. निधि के प्रचालन और इस स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक निगरानी करना;
 - ख. कार्यान्वयन के दौरान एनयूआईएस स्कीम राज्य तकनीकी समन्वय समिति (एससीसी) द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में छोटे-मोटे परिवर्तन करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रत्येक परिवर्तन की सूचना शहरी विकास मंत्रालय/टीसीपीओ को दी जानी चाहिए।
 - ग. स्कीम के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि शुरू किए गए कार्यक्रम निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
 - घ. समय-समय पर कार्यान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करना और उचित कार्रवाई करना; यदि आवश्यक हो तो शहरी विकास मंत्रालय/टीसीपीओ की सलाह लेना।
 - ङ. राज्य सरकार और टीसीपीओ के माध्यम से केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को सिफारिश करना।
- एनयूआईएस स्कीम की निगरानी, समीक्षा और प्रगति टीसीपीओ द्वारा की जाएगी, जो कि एनयूआईएस स्कीम सचिवालय होगा।
- राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा प्रगति रिपोर्टें निर्धारित प्रारूप में मुख्य नियोजक, टीसीपीओ को प्रस्तुत की जाएगी।
- उसके बाद टीसीपीओ एनयूआईएस स्कीम के अंतर्गत प्रगति के संबंध में मंत्रालय को अवगत कराएगा।
- स्कीम का निरीक्षण टीसीपीओ के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो :

- एनयूओ प्रायोगिक अध्ययनों सहित राज्यों में डेटाबेस तैयार करने तथा वास्तविक प्रगति के संबंध में रोजगार के आवंटन की निगरानी करना, जिसका अर्थ होगा नियमित स्थल दौरें।
- टीसीपीओ प्रति वर्ष (30 मई तक) शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श से स्कीम की एक स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- तकनीकी, प्रबंधकीय तथा नियोजन प्रक्रिया का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए परामर्शी दृष्टिकोण अपनाना।

11.0 नीतिगत मुद्दे

एक सरकारी प्रयास के रूप में एनयूआईएस स्कीम निर्धारित ढांचे के अंदर और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर यथोचित रूप से विचार करते हुए मानचित्रण, जीआईएस और स्थानिक आंकड़ों के लिए उचित राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार प्रचालित की जाएगी (अनुलग्नक-XXIII)।

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम कार्यशाला
29-30 नवम्बर, 2004, बंगलुरु

सिफारिशें

शहरों/नगरों, राज्य नगर नियोजन विभागों, राज्य दूर संवेदन केंद्रों, शहरी विकास मंत्रालय, ग्राम एवं नगर नियोजन संगठन (टीसीपीओ), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारतीय सर्वेक्षण, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित 156 प्रतिभागियों ने 29-30 नवम्बर, 2004 के दौरान बंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) कार्यशाला में भाग लिया और शहरी विकास मंत्रालय तथा इसरो के माध्यम से एनयूआईएस स्कीम कार्यशाला आयोजित करने और राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) की स्कीम द्वारा शहरी जीआईएस के आयोजन के एक राष्ट्रीय मिशन के मानकीकरण तथा शुरुआत करने के लिए गंभीर प्रयास करने में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस) के प्रयासों, जिनसे स्थानीय निकायों और नगर/शहरी प्राधिकारियों को शहरी क्षेत्रों के बेहतर नियोजन एवं प्रबंधन में सहयोग मिलेगा, की प्रशंसा की।

कार्यशाला में परिचालित एनयूआईएस स्कीम के परियोजना दस्तावेज के प्रारूप और एनयूआईएस स्कीम के मानकों संबंधी दस्तावेजों के प्रारूप पर विचार करते हुए और कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में विस्तृत तकनीकी चर्चाओं को भी ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सिफारिशें अपनाई गई हैं :

1. स्कीम दस्तावेज के मसौदे में दिए गए विवरण के अनुसार एतद् द्वारा एनयूआईएस स्कीम को अनुमोदित किया जाता है और शहरी विकास मंत्रालय से निम्नलिखित को समाविष्ट करने का अनुरोध किया जाता है:
 - एनयूआईएस स्कीम को एक “एकीकृत” माध्यम के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए जो शहरी क्षेत्रों के लिए विभिन्न नियोजन स्तरों/पैमानों को सहयोग करेगा। एनयूआईएस स्कीम आधार मानचित्रों से कहीं अधिक है और इसमें आधार मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र (स्थानिक), गैर-स्थानिक आंकड़े आदि शामिल हैं और इसलिए इसे प्रत्येक शहर में शहरी नियोजन तथा प्रबंधन के लिए “स्वयंसक्षम” संसाधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
 - एनयूआईएस स्कीम को लम्बे समय तक चलने के लिए सूचना देने हेतु सभी पणधारियों का एक आवश्यकता विश्लेषण किया जाए।

- एनयूआईएस स्कीम द्वारा राष्ट्रीय शहरी वेधशाला (एनयूओ) के स्थल निर्धारण और प्रचालन को सक्षम बनाया जाना चाहिए।
 - एनयूआईएस स्कीम के आंकड़ा आधार को 3 स्तर पर निम्नानुसार मानकीकृत किया जाए:
 - संकल्पना योजना और/अथवा मास्टर योजना को सहयोग करने और शहरी क्षेत्रों की निगरानी के लिए 1:10,000 का पैमाना। इसके लिए उच्च-रिजोल्यूशन उपग्रह चित्र और उपलब्ध आंकड़े प्रमुख आंकड़े हो सकते हैं।
 - क्षेत्रीय/स्थल योजना और नगरीय जीआईएस को सहयोग करने के लिए 1:2000 का पैमाना। इसके लिए एरियल फोटो और भूमि सर्वेक्षण प्रमुख आंकड़े होंगे।
 - सुविधाओं के जीआईएस को 1:1000 के पैमाने पर मानकीकृत किया जाए। इसके लिए भूमि सर्वेक्षणों सहित जीपीआर तथा उपलब्ध आंकड़ों के विशेषीकृत सर्वेक्षण प्रमुख सूचना स्रोत होंगे।
 - यह उपर्युक्त त्रिस्तरीय एकीकृत डेटाबेस दृष्टिकोण है और यह शहरी नियोजन तथा प्रबंधन की एक छोर से दूसरे छोर तक की आवश्यकताओं में सहयोग करेगा।
2. कार्यशाला में परिचालित एनयूआईएस स्कीम के मानकों का प्रारूप भी एतद् द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों के साथ अग्रेषित किया गया है जिसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है:
- एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस के 3 स्तरों के लिए विषय-वस्तु के मानक स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध/उल्लिखित किए जाने चाहिए। विषय-वस्तु को अत्यंत अनिवार्य और वांछनीय की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और संबंधित स्तर का एक न्यूनतम स्तर का आंकड़ा आधार विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
 - एनयूआईएस स्कीम में भूमि सर्वेक्षणों सहित मानचित्रण/सर्वेक्षण के सभी संभावित स्रोतों से आंकड़े/परतें समाविष्ट की जानी चाहिए।
 - भू-कर संबंधी आंकड़ा समेकन महत्वपूर्ण है और एनयूआईएस स्कीम में विषय-वस्तु के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
 - इसी प्रकार वार्ड सीमाओं को समाविष्ट किया जाना महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक रूप से एनयूआईएस स्कीम की विषय-वस्तु में शामिल होना चाहिए।
 - जीआईएस के निर्बाध समेकन के लिए और नगरों/शहरों का एक "समग्र" चित्र प्रस्तुत करने के लिए एक पद्धतिबद्ध स्थानिक ढांचा परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।
 - जीआईएस के लिए स्थानिक ढांचे को पंजीकृत करने तथा जोड़ने के लिए शहरी क्षेत्रों के नियंत्रण बिंदु स्थापित करना अनिवार्य है।

3. जहाँ तक राष्ट्रीय शहरी डेटा बैंक तथा सूचकों (एनयूडीबीएंडआई) का संबंध है, एतद् द्वारा इस संकल्पना का समर्थन किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक नगर/शहर के हालात के संबंध में एक समेकित चित्र उपलब्ध कराएगा। निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं :

- एनयूडीबी एंड आई प्राचलों की प्राथमिकता निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है और प्रारंभ में इन्हें अनिवार्य, वांछनीय और वैकल्पिक की श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
- सूचकों के लिए अनुप्रयोग तथा सॉफ्टवेयर विकास के एकीकृत विश्लेषण को मानकीकृत किया जाना चाहिए।
- राज्यों को स्थानीय शहरी वेधशाला स्थापित किए जाने और एनयूओ के साथ जोड़े जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक शहर/नगर में एनयूआईएस स्कीम प्रकोष्ठ स्थापित किया जा सकता है।
- शहरी स्थानिक सूचना प्रणाली (यूएसआईएस) से एनयूडीबी एंड आई को आंकड़े/प्राचल भेजे जाने के कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

4. एनयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए देश में उपलब्ध योग्यता/क्षमता का पूल बनाना अनिवार्य है और इस प्रकार परियोजना दस्तावेज में दिए गए अनुसार शहरी विकास मंत्रालय/टीसीपीओ; राज्य टी एंड सीपीडी और राज्य दूर संवेदन केंद्रों; तथा नगर/शहर प्राधिकारियों; इसरो/डीओएस और एसओआई; उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल करते हुए शहरी प्रबंधन संबंधी एनएनआरएमएस स्थायी समिति (एससी-यू) के अंतर्गत प्रस्तावित प्रबंधन ढांचे को उपयुक्त माना गया है। तथापि, निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

- प्रबंधन ढांचे में एक एनयूआईएस स्कीम तकनीकी सलाहकार समिति को भी शामिल किया जा सकता है, जो एनयूआईएस स्कीम के तकनीकी और कार्यान्वयन पहलुओं के संबंध में सुझाव दे सकती है। इस समिति में सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्र, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं के पेशवरों और विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

शहरी विकास मंत्रालय और राज्य टी एंड सीपीडी से शीघ्रताशीघ्र एनयूआईएस स्कीम के लिए इस प्रबंधन ढांचे को औपचारिक रूप से स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।


5. न केवल एनयूआईएस स्कीम का प्रचालन तथा प्रयोग करने के लिए बल्कि नियोजन तथा प्रबंधन में सहयोग के लिए भी प्रशिक्षित कार्मिकों का महत्वपूर्ण समूह तैयार

करने हेतु एनयूआईएस स्कीम के तहत क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन अत्यंत आवश्यक है।


- राज्य टी एंड सीपीडी से राज्य-स्तरीय स्थानीय कार्यशालाएं आयोजित करने और एनयूआईएस स्कीम के संबंध में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया जाता है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
 - क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मानकीकृत किए जाने की आवश्यकता है और आईआईआरएस से प्रशिक्षण को व्यापक पैमाने पर लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में भी विचार करने का अनुरोध किया जाता है।
6. प्रतिनिधियों द्वारा मानचित्र और स्थानिक आंकड़ों के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय नीतियों की आवश्यकता के संबंध में चिंता पर जोर दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय से उपयुक्त नीतियों के संबंध में निर्णय लेने का और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि स्कीम दस्तावेज में की गई संकल्पना के अनुसार एनयूआईएस स्कीम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए।
 7. एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस “साझा परिसम्पत्ति” होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार नगर/शहर/राज्य/केंद्र में अभिकरणों/प्रयोक्ताओं और अन्य के बीच जीआईएस आंकड़ों को साझा किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
 8. ऐसे साझा मंच की संकल्पना से सूचना के आदान-प्रदान तथा मानकीकरण के संबंध में काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिनिधियों ने शहरी विकास मंत्रालय से इस कार्यशाला को प्रति वर्ष कराए जाने और एनयूआईएस स्कीम के पद्धतिवार विकास तथा इसके मानकीकरण को सक्षम बनाने का अनुरोध किया।
 9. एनयूआईएस स्कीम के भविष्य के कदमों के संबंध में सचिव (शहरी विकास) के वक्तव्य को नोट करते हुए कार्यशाला में आए प्रतिनिधि प्रसन्नतापूर्वक शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एनयूआईएस स्कीम को जनवरी, 2005 में शुरू किए जाने को सुनिश्चित करने का स्वगत करते हैं और इस संबंध में अनुरोध करते हैं।

एनयूआईएस स्कीम, कार्यशाला के समापन सत्र में आज नवम्बर, 2004 के तीसरे दिन अपनाई जाती है, प्रतिनिधि शहरी विकास मंत्रालय से उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में समन्वय करने तथा विचार करने का अनुरोध करते हैं।

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम की संकल्पना



एनयूआईएस चरण-I की गतिविधियां



उद्देश्यों का घटक-वार विवरण

एनयूआईएस स्कीम के दो महत्वपूर्ण घटक होंगे और उनके विस्तृत लक्ष्य निम्नानुसार हैं-


• **शहरी स्थानिक सूचना प्रणाली (यूएसआईएस)**

- प्रत्येक शहर/नगर के लिए व्यापक 3 स्तरीय जीआईएस डेटाबेस तैयार करना, जो कि शहरी नियोजन और प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य को सहायता करने में सक्षम होगा।
- स्थानिक और क्षेत्र विशिष्ट सूचना के पैरामीटरों वाला 1:10,000 पैमाने पर जीआईएस, जो कि शहरी समूहों में मास्टर योजना और क्षेत्रीय योजना कार्य का मुख्य घटक होगा।
- विस्तृत शहरी योजना स्कीमों और शहरी प्रशासन की सहायता के लिए स्थानिक और क्षेत्र विशिष्ट सूचना के पैरामीटरों वाला 1:2000 पैमाने पर जीआईएस डेटाबेस।
- विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज और अन्य सुविधाओं को शामिल करते हुए प्रायोगिक आधार पर 1:1000 पैमाने पर सुविधा के जीआईएस की स्थापना, जो शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं/योजना और प्रबंधन में सहायक होगा।
- शहरी योजनाकारों/प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने वाली मास्टर/क्षेत्र स्तरीय योजनाओं और सुविधा प्रबंधन के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु जीआईएस में स्वचालित समेकन/अनुप्रयोग तकनीक का विकास।

• **राष्ट्रीय शहरी डेटाबैंक और सूचक (एनयूडीबी एवं आई)**

- नियोजन की सहायता हेतु संग्रह किए जाने वाले आंकड़ा पैरामीटरों का मानक सेट डिजाइन करना और प्रत्येक शहरी समूहों के लिए एनयूडीबी एवं आई के भाग के रूप में 74वीं सीएए की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध दैनिक नगर पालिका कार्य। इस डिजाइन के लिए टीसीपीओ/शहरी विकास मंत्रालय के दिशानिर्देश उपयोगी होंगे।
- एनयूडीबी एवं आई के लिए डेटाबेस डिजाइन करना और फ्रंट एंड एवं समेकन सॉफ्टवेयर भी विकसित करना जो सूचकांक उपलब्ध कराएगा। इस डिजाइन में, यथा अपेक्षित यूएसआईएस और एनयूडीबी एवं आई डेटाबेस को भी जोड़ा जा सकता है।
- प्रत्येक शहर के लिए शहर स्तरीय एनयूडीबी एवं आई डेटाबेस विकसित करना।
- प्रत्येक राज्य में स्थानीय शहरी वेधशाला (एमयूओ) की स्थापना करना जो कि राज्य के भीतर सभी शहरों के लिए एनयूडीबी एवं आई डेटाबेसों को एकीकृत करेगी।
- सभी राज्यों के एनयूडीबी एवं आई डेटाबेस के एकीकरण द्वारा राष्ट्रीय शहरी वेधशाला (एनयूओ) और ग्राम एवं नगर नियोजन संगठन/शहरी विकास मंत्रालय स्तर पर प्रत्येक शहर के लिए सहायता करना।
- शहरी विकास मंत्रालय, योजना आयोग, राज्यों आदि के लिए शहरी समूहों की दशा के बारे में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक आंकड़े/रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

एनयूआईएस योजना के चरणबद्ध



नगरों के चयन हेतु प्राथमिक मानदण्ड

नगरों के चयन हेतु प्राथमिक शर्तें निम्नानुसार दी गई हैं:-

- प्रत्येक बड़े राज्य से छः शहरी समूह और नगर, प्रत्येक अन्य (बड़े राज्य, पूर्वोत्तर और संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा) राज्य से 5 शहरी समूह और नगर, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य से दो शहरी समूह और नगर और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों से एक शहरी समूह और नगर।
- प्रति राज्य श्रेणी के कई नगरों का निर्णय कमोबेश प्रत्येक राज्य श्रेणी में नगरों के अनुपात के आधार पर किया गया है अर्थात् बड़े राज्यों में नगरों का प्रतिशत सभी राज्य श्रेणियों के बीच कुल शहरी समूहों और नगरों का 75% से अधिक है (2001 की जनगणना के अनुसार 4378 यूए और नगर) तदनुसार, बड़े राज्यों से चयनित नगरों की संख्या अर्थात् 66 नगर कुल 137 एनयूआईएस नगरों का लगभग 50% है।
- यद्यपि उत्तर पूर्वी राज्यों में नगरों का प्रतिशत कुल नगरसमूह का मात्र 3% है, तथापि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के निर्देशों के अनुसरण में पूर्वोत्तर के कुल एनयूआईएस नगरों के 10% को ही शामिल किया गया है।
- पांच वर्ष (मार्च, 2003 तक) के भीतर किसी अन्य निधियन स्रोत द्वारा सभी नगरों/शहरों का मानचित्रण नहीं किया गया है। यह शर्त स्कीम में प्रस्तावित नगरों की तुलना में एक वैकल्पिक शहर का चयन करने हेतु राज्यों को सहायता देगी।
- पहले ही मानचित्रण किए गए (संदर्भ नीचे सारणी में दिया गया है) सभी मेट्रो और राज्य की राजधानियों/शहरों (दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर) को जनसंख्या के अनुसार अगले सबसे बड़े शहर/नगर में शामिल करने हेतु छोड़ा जा सकता है।
- यह ध्यान दिए बिना कि वे एनयूआईएस स्कीम शहर हैं अथवा नहीं हैं, सभी राज्य नोडल अभिकरणों को उच्च कन्फिगरेशन वाला कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा।
- केन्द्र प्रायोजित नगर मानचित्रण स्कीम के तहत शामिल नहीं किए गए सभी शहरों/नगरों का चयन किए गया है।

मानचित्रण हेतु विभिन्न स्कीमों के तहत शामिल महानगर

क्र. सं.	शहरी समूह/शहर	राज्य	सिविक स्थिति	निम्न के तहत शामिल			
				एनयूआईएस के तहत प्रस्तावित	शहर मानचित्रण स्कीम	एनआरएस ए पहल	राज्य पहल
1	हैदराबाद यूए	आंध्र प्रदेश	यूए			*	
2	विशाखापटनम यूए	आंध्र प्रदेश	यूए				*
3	विजयवाड़ा यूए	आंध्र प्रदेश	यूए				*
4	पटना यूए	बिहार	यूए	*			

5	दिल्ली यूए	दिल्ली	यूए	*			
6	अहमदाबाद यूए	गुजरात	यूए			*	
7	सूरत यूए	गुजरात	यूए	*			
8	वडोदरा यूए	गुजरात	यूए	*			
9	राजकोट यूए	गुजरात	यूए	*			
10	फरीदाबाद नगर निगम	हरियाणा	नगर निगम	*			
11	जमशेदपुर यूए	झारखण्ड	यूए	*			
12	धनबाद यूए	झारखण्ड	यूए	*			
13	बंगलुरु यूए	कर्णाटक	यूए			*	
14	कोच्चि यूए	केरल	यूए		*		
15	इंदौर यूए	मध्य प्रदेश	यूए		*		
16	भोपाल यूए	मध्य प्रदेश	यूए		*		
17	जबलपुर यूए	मध्य प्रदेश	यूए	*			
18	ग्रेटर मुंबई यूए	महाराष्ट्र	यूए			*	
19	पुणे यूए	महाराष्ट्र	यूए	*			
20	नागपुर यूए	महाराष्ट्र	यूए		*		
21	नासिक यूए	महाराष्ट्र	यूए	*			
22	लुधियाना नगर निगम	पंजाब	नगर निगम	*			
23	अमृतसर यूए	पंजाब	यूए	*			
24	जयपुर नगर निगम	राजस्थान	नगर निगम	*			
25	चेन्नई यूए	तमिलनाडु	यूए				*
26	कोयंबटूर यूए	तमिलनाडु	यूए	*			
27	मदुरै यूए	तमिलनाडु	यूए	*			
28	कानपुर यूए	उत्तर प्रदेश	यूए	*			
29	लखनऊ यूए	उत्तर प्रदेश	यूए	*			
30	आगरा यूए	उत्तर प्रदेश	यूए		*		
31	वाराणसी यूए	उत्तर प्रदेश	यूए	*			
32	मेरठ यूए	उत्तर प्रदेश	यूए	*			
33	इलाहाबाद यूए	उत्तर प्रदेश	यूए	*			
34	कोलकाता यूए	पश्चिम बंगाल	यूए				*
35	आसनसोल यूए	पश्चिम बंगाल	यूए		*		

अनुलग्नक-VII

मानचित्रण हेतु अंतरिम क्षेत्र के साथ एनयूआईएस योजना चरण-I नगरों की सूची

क्र. सं	नगर	राज्य	जनसंख्या 2001	स्थिति	श्रेणी	मानचित्रण के लिए संभावित क्षेत्र वर्ग कि.मी.		
						जनगणना क्षेत्र 1991*	क्षेत्र 91+500% (1:10,000 पैमानेपर)	क्षेत्र 91+20% (1:2000 पैमाने पर)
1	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99984	नगर	II	14.14	70.70	16.97
2	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	129403	नगर	I	20.76	103.80	24.91
3	धर्मावरम	आंध्र प्रदेश	103357	नगर	I	40.45	202.25	48.54
4	मदनपल्ली	आंध्र प्रदेश	107449	नगर	I	14.20	71.00	17.04
5	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश	111380	नगर	I	22.00	110.00	26.40
6	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	117320	नगर	I	14.10	70.50	16.92
7	टाडेपालीगुडेम	आंध्र प्रदेश	102622	नगर	I	20.71	103.55	24.85
8	एलॉग	अरुणाचल प्रदेश	17033	नगर	IV	20.00	100.00	24.00
9	डापोरीजो	अरुणाचल प्रदेश	15756	नगर	IV	20.00	100.00	24.00
10	डिब्रूगढ़	असम	137661	यूए	I	16.00	80.00	19.20
11	नगांव	असम	123265	यूए	I	9.22	46.10	11.06
12	सिलचर	असम	184105	यूए	I	15.75	78.75	18.90
13	तेजपुर	असम	105377	नगर	I	7.10	35.50	8.52
14	तिनसुकिया	असम	108123	यूए	I	33.27	166.35	39.92
15	अर्राह	बिहार	203380	नगर	I	30.97	154.85	37.16
16	भागलपुर	बिहार	350133	यूए	I	30.84	154.20	37.01
17	दरभंगा	बिहार	267348	नगर	I	19.18	95.90	23.02
18	मुजफ्फरपुर	बिहार	305525	नगर	I	26.43	132.15	31.72
19	पटना	बिहार	1697976	यूए	मैट्रो	128.61	643.05	154.33
20	चंडीगढ़	चंडीगढ़	808515	यूए	I	333.00	1665.00	399.60
21	भिलाई नगर	छत्तीसगढ़	927864	नगर	I	89.87	449.35	107.84
22	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	335293	नगर	I	46.47	232.35	55.76
23	दुर्ग	छत्तीसगढ़	232517	नगर	I	50.80	254.00	60.96
24	कोरबा	छत्तीसगढ़	315690	नगर	I	35.07	175.35	42.08
25	रायपुर	छत्तीसगढ़	700113	यूए	I	64.29	321.45	77.15
26	सिलवासा	दादरा एवं नागर हवेली	21893	नगर	III	0.78	3.90	0.94
27	दमन	दमन और दीव	35770	नगर	III	5.60	28.00	6.72
28	दिल्ली यू.ए.	दिल्ली	12877470	यूए	मैट्रो	1437.00	7185.00	1724.40
29	कुनकोलीम	गोवा	15860	नगर	IV	28.69	143.45	34.43
30	कर्चरिम काकोरा	गोवा	21407	नगर	III	22.55	112.75	27.06

31	मापुसा	गोवा	40487	नगर	III	11.32	56.60	13.58
32	मडगांव	गोवा	94383	यूए	II	22.04	110.20	26.45
33	मोरमुगाओ	गोवा	104758	यूए	I	39.55	197.75	47.46
34	भावनगर	गुजरात	517708	यूए	I	90.16	450.80	108.19
35	जामनगर	गुजरात	556956	यूए	I	35.50	177.50	42.60
36	नाडियाड	गुजरात	196793	यूए	I	28.48	142.40	34.18
37	राजकोट	गुजरात	1003015	यूए	मैट्रो	84.60	423.00	101.52
38	सूरत	गुजरात	2811614	यूए	मैट्रो	153.16	765.80	183.79
39	वडोदरा	गुजरात	1491045	यूए	मैट्रो	136.97	684.85	164.36
40	फरीदाबाद	हरियाणा	1055938	नगर	मैट्रो	178.24	891.20	213.89
41	हिसार	हरियाणा	263186	यूए	I	49.43	247.15	59.32
42	करनाल	हरियाणा	221236	यूए	I	23.60	118.00	28.32
43	पानीपत	हरियाणा	354148	यूए	I	20.82	104.10	24.98
44	रोहतक	हरियाणा	294577	यूए	I	28.38	141.90	34.06
45	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	19124	नगर	IV	10.63	53.15	12.76
46	मंडी	हिमाचल प्रदेश	26873	नगर	III	4.26	21.30	5.11
47	नाहन	हिमाचल प्रदेश	26053	नगर	III	8.78	43.90	10.54
48	शिमला	हिमाचल प्रदेश	144975	यूए	I	35.34	176.70	42.41
49	सोलान	हिमाचल प्रदेश	34206	नगर	III	6.18	30.90	7.42
50	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर	97896	नगर	II	46.00	230.00	55.20
51	बारामूला	जम्मू और कश्मीर	71896	नगर	II	46.00	230.00	55.20
52	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	612163	यूए	I	46.00	230.00	55.20
53	सोपोर	जम्मू और कश्मीर	59624	नगर	II	15.00	75.00	18.00
54	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	988210	नगर	I	7.77	38.85	9.32
55	बोकारो	झारखंड	497780	यूए	I	183.43	917.15	220.12
56	धनबाद	झारखंड	1065327	यूए	मैट्रो	201.44	1007.20	241.73
57	जमशेदपुर	झारखंड	1104713	यूए	मैट्रो	99.75	498.75	119.70
58	आम	झारखंड	166125	नगर	I	19.45	97.25	23.34
59	रांची	झारखंड	863495	यूए	I	182.09	910.45	218.51
60	बेल्लारी	कर्नाटक	316766	नगर	I	65.90	329.50	79.08
61	बीदर	कर्नाटक	174257	नगर	I	47.05	235.25	56.46
62	बीजापुर	कर्नाटक	253891	नगर	I	75.36	376.80	90.43
63	दावाणगेरे - हरिहर	कर्नाटक	364523	यूए	I	48.46	242.30	58.15
64	कोलार	कर्नाटक	113907	एम	I	7.91	39.55	9.49
65	रायचूर	कर्नाटक	207421	नगर	I	75.24	376.20	90.29
66	अलाप्पुझा	केरल	282675	यूए	I	84.48	422.40	101.38
67	कोल्लम	केरल	380091	यूए	I	67.65	338.25	81.18
68	कोझीकोड	केरल	880247	यूए	I	232.95	1164.75	279.54
69	पालक्कड़	केरल	197369	यूए	I	59.05	295.25	70.86
70	त्रिशूर	केरल	330122	यूए	I	88.42	442.10	106.10
71	कावारत्ती	लक्षद्वीप	10119	नगर	IV	3.63	18.15	4.36

72	देवास	मध्य प्रदेश	231672	नगर	I	100.22	501.10	120.26
73	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	865548	यूए	I	303.18	1515.90	363.82
74	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1098000	यूए	मैट्रो	224.45	1122.25	269.34
75	सागर	मध्य प्रदेश	308922	यूए	I	52.07	260.35	62.48
76	सतना	मध्य प्रदेश	229307	यूए	I	86.77	433.85	104.12
77	उज्जैन	मध्य प्रदेश	431162	यूए	I	92.94	464.70	111.53
78	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	892483	यूए	I	148.12	740.60	177.74
79	भिवंडी	महाराष्ट्र	621427	यूए	I	28.21	141.05	33.85
80	नासिक	महाराष्ट्र	1152326	यूए	मैट्रो	321.94	1609.70	386.33
81	पिंपरी चिंचवाड	महाराष्ट्र	1012472	नगर	मैट्रो	87.05	435.25	104.46
82	पुणे	महाराष्ट्र	3760636	यूए	मैट्रो	423.42	2117.10	508.10
83	थाणे	महाराष्ट्र	1262551	नगर	मैट्रो	143.76	718.80	172.51
84	इम्फाल	मणिपुर	250234	यूए	I	36.55	182.75	43.86
85	काकचिंग	मणिपुर	28724	नगर	III	7.02	35.10	8.42
86	जोवाई	मेघालय	25057	एमबी	III	7.80	39.00	9.36
87	तूरा	मेघालय	58978	एम	II	18.30	91.50	21.96
88	चामफाई	मिजोरम	26465	नगर	III	52.00	260.00	62.40
89	लुंगलेई	मिजोरम	47137	नगर	III	44.00	220.00	52.80
90	दीमापुर	नगालैंड	98096	नगर	II	25.54	127.70	30.65
91	मोकोकचुंग	नगालैंड	31214	नगर	III	32.00	160.00	38.40
92	बालेश्वर	उड़ीसा	156430	यूए	I	41.82	209.10	50.18
93	बारीपदा	उड़ीसा	100651	यूए	I	29.98	149.90	35.98
94	ब्रह्मपुर	उड़ीसा	307792	नगर	I	79.80	399.00	95.76
95	कटक	उड़ीसा	587182	यूए	I	152.99	764.95	183.59
96	राउरकेला	उड़ीसा	484874	यूए	I	157.17	785.85	188.60
97	संबलपुर	उड़ीसा	226469	यूए	I	89.50	447.50	107.40
98	क्रैकल	पॉडिचेरी	74438	एम	II	35.17	175.85	42.20
99	अमृतसर	पंजाब	1003917	नगर	मैट्रो	114.95	574.75	137.94
100	भटिंडा	पंजाब	217256	नगर	I	114.00	570.00	136.80
101	जालंधर	पंजाब	714077	नगर	I	80.41	402.05	96.49
102	लुधियाना	पंजाब	1398467	नगर	मैट्रो	134.67	673.35	161.60
103	पठानकोट	पंजाब	168485	यूए	I	22.10	110.50	26.52
104	पटियाला	पंजाब	323884	यूए	I	31.20	156.00	37.44
105	बांदीकुई	राजस्थान	16295	एम	IV	3.18	15.90	3.82
106	बीजानगर- गुलाबपुरा	राजस्थान	24362	एम	III	10.00	50.00	12.00
107	डूंगरपुर	राजस्थान	43108	एम	III	10.24	51.20	12.29
108	करौली	राजस्थान	66239	एम	II	35.00	175.00	42.00
109	मकराना	राजस्थान	91853	यूए	II	3.43	17.15	4.12
110	सवाई माधोपुर	राजस्थान	101997	यूए	I	60.38	301.90	72.46
111	रंगपो	सिक्किम	3709	नगर	VI	20.00	100.00	24.00

112	सिंगताम	सिक्किम	5432	नगर	V	20.00	100.00	24.00
113	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	1461139	यूए	मैट्रो	314.84	1574.20	377.81
114	मदुरै	तमिलनाडु	1203095	यूए	मैट्रो	115.48	577.40	138.58
115	सेलम	तमिलनाडु	751438	यूए	I	93.31	466.55	111.97
116	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	866354	यूए	I	165.81	829.05	198.97
117	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	433352	यूए	I	86.87	434.35	104.24
118	तिरुपूर	तमिलनाडु	550826	यूए	I	43.52	217.60	52.22
119	धर्मनगर	त्रिपुरा	30790	नगर	III	7.77	38.85	9.32
120	राधाकिशोरपुर (उदयपुर)	त्रिपुरा	21758	एनपी	III	64.28	321.40	77.14
121	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1042229	यूए	मैट्रो	114.00	570.00	136.80
122	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	968256	यूए	I	74.64	373.20	89.57
123	कानपुर	उत्तर प्रदेश	2715555	यूए	मैट्रो	266.74	1333.70	320.09
124	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2245509	यूए	मैट्रो	337.50	1687.50	405.00
125	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1161716	यूए	मैट्रो	177.58	887.90	213.10
126	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1203961	यूए	मैट्रो	83.05	415.25	99.66
127	बागेश्वर	उत्तरांचल	7803	नगर	V	5.00	25.00	6.00
128	कोटद्वार	उत्तरांचल	24947	नगर	III	2.59	12.95	3.11
129	मसूरी	उत्तरांचल	29329	यूए	III	64.75	323.75	77.70
130	पिथौरागढ़	उत्तरांचल	44964	नगर	III	8.99	44.95	10.79
131	रुड़की	उत्तरांचल	115278	यूए	I	7.74	38.70	9.29
132	भाटपारा	पश्चिम बंगाल	442385	यूए	I	15.85	79.25	19.02
133	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	493405	नगर	I	154.20	771.00	185.04
134	कमारहाती	पश्चिम बंगाल	314507	नगर	I	10.96	54.80	13.15
135	कुल्टी	पश्चिम बंगाल	289903	नगर	I	32.57	162.85	39.08
136	पानीहाती	पश्चिम बंगाल	348438	नगर	I	19.40	97.00	23.28
137	राजपुर सोनारपुर	पश्चिम बंगाल	336707	नगर	I	114.00	570.00	136.80
		कुल				11151.09	55755.45	13381.31

* मानचित्रण किए जाने वाले नगर का क्षेत्र सांकेतिक है और अंतिम क्षेत्र सर्वेक्षण के समय नगर के वास्तविक शहरी क्षेत्र के शर्ताधीन होगा।

सुविधा मानचित्रण के लिए नगरों की सूची

क. शहरी मानचित्रण चरण-II					
क्र.सं.	नाम	राज्य अमेरिका	वर्ग	औसत क्षेत्र रैखिक किमी	लागत @ रु. 6,000/ रैखिक किमी।
1	ईटानगर-नाहरलगुन	अरुणाचल प्रदेश	III	100	600000
2	गया	बिहार	I	350	2100000
3	चंडीगढ़	चंडीगढ़	I	350	2100000
4	गुडगांव	हरियाणा	I	350	2100000
5	मैसूर	कर्नाटक	I	350	2100000
6	कोच्चि	केरल	I	350	2100000
7	भोपाल	मध्य प्रदेश	मैट्रो	900	5400000
8	आइजोल	मिजोरम	I	350	2100000
9	पोंडिचेरी	पोंडिचेरी	I	350	2100000
10	अजमेर	राजस्थान	I	350	2100000
11	गंगटोक	सिक्किम	III	100	600000
12	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	I	350	2100000
	योग			4250	25500000
ख. राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) योजना					
क्र.सं.	नाम	राज्य अमेरिका	वर्ग	औसत क्षेत्र रैखिक किमी	लागत @ रु. 8500/ रैखिक किमी।
13	नलगौडा	आंध्र प्रदेश	I	350	2100000
14	रायपुर	छत्तीसगढ़	I	350	2100000
15	मोरमुगाओ	गोवा	I	350	2100000
16	सूरत	गुजरात	I	350	2100000
17	शिमला	हिमाचल प्रदेश	I	350	2100000
18	जमशेदपुर	झारखंड	I	350	2100000
19	पुणे	महाराष्ट्र	मैट्रो	900	5400000
20	कटक	उड़ीसा	I	350	2100000
21	लुधियाना	पंजाब	I	350	2100000
22	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	मैट्रो	900	5400000
23	कानपुर	उत्तर प्रदेश	मैट्रो	900	5400000
24	रुड़की	उत्तरांचल	I	350	2100000
	योग			5850	35100000
	समग्र योग (क + ख)			10100	60600000

चयन मापदंड:

1. एनयूआईएस योजना मानक समिति ने सुझाव दिया कि सभी 24 शहरों को उपयोगिता मापन हेतु प्रायोगिक आधार पर एनयूआईएस योजना के अधीन शामिल किया जा सकता है।
2. एनयूआईएस योजना मानक समिति द्वारा उल्लिखित उक्त 24 शहरों में से, 'ए' पर दर्शाए 12 अनुशंसित शहरों को शहरी मापन योजना से उपयोगिता मापन में लिया जाना है।
3. 'बी' पर दर्शाए शेष 12 शहरों को अन्य राज्यों से चुना गया है।
4. उपयोगिता मापन की लागत को सड़कों की किलोमीटर में औसत रैखिक लंबाई के आधार पर तथा शहरों की श्रेणी पर जनसंख्या आकार के आधार पर गणना की गई है, जिसे एनयूओ के अंतर्गत 34 शहरों हेतु संचालित टीसीपीओ के प्रायोगिक अध्ययनों के डाटा से लिया गया है।
5. प्रायोगिक अध्ययनों से व्युत्पन्न औसत क्षेत्र 900 रैखिक किलोमीटर मेट्रो शहरों के लिए, 350 रैखिक किलोमीटर श्रेणी-1 शहरों और 100 रैखिक किलोमीटर अन्य शहरों के लिए थे।
6. रु. 6,000/रैखिक किलोमीटर की लागत को एसओआई द्वारा प्रदान की गई है जिसमें दौ उपयोगिताओं अर्थात् जल आपूर्ति और सिवरेज को शामिल किया जाएगा।

शहरों की ग्लोबल नमूना - यूएनसीएचएस - नमूना फ्रेम ट्रायल

क्र.सं.	नगर/यूए	राज्य	जनसंख्या 2001
1.	मुंबई	महाराष्ट्र	16368084
2.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	13216546
3.	दिल्ली	दिल्ली	12791458
4	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	5533640
5	पुणे	महाराष्ट्र	3755525
6	कानपुर	उत्तर प्रदेश	2690486
7	जयपुर	राजस्थान	2324319
8	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	1446034
9	कोच्चि	केरल	1355406
10	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	1011152
11	अमृतसर	पंजाब	1011327
12	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	971357
13	दुर्ग-भिलाइनगर	छत्तीसगढ़	923559
14	जोधपुर	राजस्थान	856034
15	पोंडिचेरी	पोंडिचेरी	505715
16	अकोला	महाराष्ट्र	399978
17	राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश	408341
18	यमुनानगर	हरियाणा	306640
19	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	296323
20	हिसार	हरियाणा	263070
21	जलना	महाराष्ट्र	235529
22	करनाल	हरियाणा	222017
23	अगरतला	त्रिपुरा	189327
24	गदग-बेटीगेरी	कर्नाटक	154849
25	कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	148645

नोट: मोटे अक्षरों में प्रदर्शित शहरों/यूए को पूर्व में भी एनयूआईएस योजना के शहरों में शामिल कर लिया गया है।

एमयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कदम

एमयूआईएस स्कीम 1:10के/1:2के	एमयूआईएस स्कीम 1:1के
<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक नगर/राज्य में एनयूआईएस दल निर्धारित करना • नगर/राज्य के एनयूआईएस दल के साथ एनयूआईएस स्कीम कार्यान्वयन की चर्चा करना/योजना बनाना • नगर के चारों ओर 1:2 के पैमाने पर मानचित्रण हेतु क्षेत्र का पता लगाना • हवाई सर्वेक्षण हेतु स्वीकृति प्राप्त करना • सरकारी अभिकरणों द्वारा हवाई उड़ान • उपग्रह चित्रों की अधिप्राप्ति • जीपीएस आधारित प्रणाली की सटीकता में सुधार • एनयूआईएस स्कीम मानक के अनुसार थीमों का मानचित्रण • एनयूआईएस स्कीम मानक के अनुसार नगरों के लिए जीआईएस ढांचा अपनाना • एनयूआईएस स्कीम मानक के अनुसार नगरों के लिए जीआईएस डेटाबेस का सृजन • जीआईएस अनुप्रयोग साधनों का विकास • कार्मिकों का प्रशिक्षण • जीआईएस डाटाबेस और अनुप्रयोग को नगर के एनयूआईएस प्रणाली तक ले जाना • नगर निर्माण योजनाएँ • नगर के विषय में ताजा जानकारी और एनयूआईएस स्कीम डाटाबेस और प्रणाली का रख-रखाव • समीक्षा और निगरानी 	<ul style="list-style-type: none"> • नगर/राज्य के एनयूआईएस दल के साथ एनयूआईएस स्कीम कार्यान्वयन के विषय में चर्चा करना/योजना बनाना • चयनित नगरों में जीपीआर सर्वेक्षण हेतु क्षेत्रों का पता लगाना • जीपीआर सर्वेक्षण • एनयूआईएस स्कीम मानकों के अनुसार सुविधा थीमों का मानचित्रण • नगर से उपलब्ध सुविधा आंकड़ा प्राप्त करना • एनयूआईएस स्कीम मानक के अनुसार नगरों के लिए जीआईएस ढांचा अपनाना • एनयूआईएस स्कीम मानक के अनुसार नगरों के लिए जीआईएस डेटाबेस का सृजन • जीआईएस अनुप्रयोग साधनों का विकास • नगर कार्मिकों का प्रशिक्षण • जीआईएस डाटाबेस और अनुप्रयोग को शहर के एनयूआईएस प्रणाली तक ले जाना • नगर के विषय में ताजा जानकारी और एनयूआईएस स्कीम डाटाबेस और प्रणाली का रख-रखाव • समीक्षा और निगरानी

एनयूआईएस स्कीम डिजाइन मानक

पैरामीटर	1:10,000	1:2000
क] चित्र मानक		
जेनेरिक/मानक रिजोल्यूशन	<ul style="list-style-type: none"> 5मी मल्टी स्पेक्ट्रल अथवा बेहतर 	<ul style="list-style-type: none"> -
आईआरएस चित्र रिजोल्यूशन	<ul style="list-style-type: none"> 5.8मी.मल्टी स्पेक्ट्रल अथवा बेहतर 2.5मी X एस 	<ul style="list-style-type: none"> एरियल पेम/मल्टी स्पेक्ट्रल
चित्र परिणाम के लिए प्रोजेक्शन	एलसीसी/टीएम	एलसीसी/टीएम
चित्र सृजन के लिए आधार सामग्री	डब्ल्यूजीएस84	डब्ल्यूजीएस 84
चित्र फ्रेम (ज्यामितिक रूप से सही किया गया; निर्बाधता के लिए महत्वपूर्ण)	3'45"X3'45"	45"X45"
मी. में चित्र स्थिति (प्लेनिमेट्रिक) सटीकता (0.5 मिमी पैमाने)	5	0.5 (0.25मी मी पैमाने)
मी. में XS आंकड़ा (0.25 पिक्सल) के लिए बैंड दर बैंड पंजीकरण	~1.5	~0.1
ख] थिमेटिक मानचित्रण मानक		
एनआरआर में शामिल करने हेतु न्यूनतम मानचित्र फ्रेम आकार	3'45"X3'45"	1'X1'
चित्र पंजीकरण सटीकता@0.5 पिक्सेल (आरएमएस)	1.25मी	0.5 पिक्सल
मानचित्र प्रोजेक्शन	यूटीएम	यूटीएम
आधार सामग्री (आंकड़ा)	डब्ल्यूजीएस 84	डब्ल्यूजीएस 84
मी. में चित्र स्थिति (प्लेनिमेट्रिक) सटीकता (1मिमी पैमाने)	10	0.50 (0.25मिमी पैमाने)
वर्ग मी. में न्यूनतम मानचित्रण योग्य इकाई (एमएमयू) (3x3 मिमी पैमाने)	900	4 (1 मी मी X1 मी मी)
मी. में 1मी मी पैमाने डीईएम जेड-स्पेसिंग	10	2
मी. में डीईएम जेड-सटीकता	5	1
वर्गीकरण/मानचित्रण की थिमेटिक सटीकता	90/90	90/90
मानचित्र प्रारूप	<ul style="list-style-type: none"> डिजिटल जीआईएस 	<ul style="list-style-type: none"> डिजिटल जीआईएस अनुपालन

	<ul style="list-style-type: none"> अनुपालन पेपर 	<ul style="list-style-type: none"> पेपर
ग] जीआईएस डेटाबेस मानक		
स्थानिक ढांचा	निर्बाधता-राष्ट्रीय	निर्बाधता-स्थानीय/राष्ट्रीय
स्थानिक ढाँचे के लिए मिलन स्थल अंतराल	45" X 45"	15" X 15"
सटीकता के लिए इकाइयों का समन्वय	दशमलव-सेकेंड	दशमलव-सेकेंड
प्रोजेक्शन	भौगोलिक	भौगोलिक
आधार-सामग्री	डब्ल्यूजीएस 84	डब्ल्यूजीएस 84
एनआरआर के लिए न्यूनतम ढांचा आकार	3.75' X 3.75'	45" X 45"
मी. में जीआईएस डीबी टीआईसी पंजीयन सटीकता (0.25 मिमी पैमाने) (आरएमएस)	2.5	0.5
स्थिति(प्लेनिमेट्रिक) सटिकता (1मिमी पैमाने)	10	0.5 (0.25 मिमी पैमाने)
मी. में कोआर्डिनेट मूवमेंट टॉलरेंश (सीएमटी) (0.125 मिमी पैमाने)	1.25	0.25
मी. में वीड टॉलरेंश (डब्ल्यूटी) (0.125मिमी पैमाने)	1.25	0.25
मी. में सिल्वर पॉलिगन टॉलरेंश (एसपीटी) (एमएमयू के कम)	<900	<4
ग्रिड आकार (चित्र/रास्टर/डीईएम परत के लिए) (0.5मिमी पैमाने)	5	1
घ] परिणाम/सेवा मानक		
परिणाम प्रारूप (राष्ट्रीय मानचित्र नीति द्वारा यथा परिभाषित फिल्टर)	<ul style="list-style-type: none"> डिजिटल जीआईएस अनुपालन डिजिटल वेब-अनुपालन पेपर 	<ul style="list-style-type: none"> डिजिटल जीआईएस अनुपालन डिजिटल वेब- अनुपालन पेपर
परिणाम ढांचा	<ul style="list-style-type: none"> प्रशासन इकाई- जिला, तहसील, गांव जमाबन्दी खाता संदर्भ प्राकृतिक क्षेत्र 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशासन इकाई- जिला, तहसील, गांव जमाबन्दी खाता संदर्भ प्राकृतिक क्षेत्र प्रयोक्ता परिभाषित क्षेत्र

	<ul style="list-style-type: none"> • प्रयोक्ता परिभाषित क्षेत्र पॉलिगन • स्थानिक • फ्रेमवर्क ग्रिड 	<p>पॉलिगन</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्थानिक • फ्रेमवर्क ग्रिड
परिणाम मीडिया	<ul style="list-style-type: none"> • ऑनलाइन डाउनलोड • ऑफलाइन डाउनलोड • सीडी-आरओएम 	<ul style="list-style-type: none"> • ऑनलाइन डाउनलोड • ऑफलाइन डाउनलोड • सीडी-आरओएम
परिणाम प्रोजेक्शन	यूटीएम/पॉलिकोनिक/प्रयोक्ता परिभाषित	यूटीएम/रिलेटिव/प्रयोक्ता परिभाषित
परिणाम आधार सामग्री	डब्ल्यूजीएस 84	डब्ल्यूजीएस 84
परिणाम प्रारूप	जीआईएस प्रारूप, जीओ टीआईएफ, टीआईएफ, शेप फाइल जेपीईजी, एनएसडीई, और अन्य	जीआईएस प्रारूप, जीओ टीआईएफ, टीआईएफ, शेप फाइल जेपीईजी, एनएसडीई, और अन्य
परिणाम प्रतीक विद्या	लेयर लीजेंड के अनुसार	लेयर लीजेंड के अनुसार
ड] ढांचा कार्य/परत सटीकता मानदण्ड		
राष्ट्रीय ढांचा गुणवत्ता/सटीकता-मानक प्रशासक इकाई क्षेत्र के लिए सहिष्णुता सीमा	तालुक या गांव या खपरैल क्षेत्रों में से 0.3%	क्षेत्र का 0.3%
मी. में स्थिति (प्लेनिमेट्रिक) सटीकता (1मिमी पैमाने)	परिणाम जिसका नमूना लिया जाना है और स्थिति सटीकता गुणवत्ता हेतु प्रमाणिकृत	परिणाम जिसका नमूना लिया जाना है और स्थिति सटीकता गुणवत्ता हेतु प्रमाणिकृत
वर्गीकरण/मानचित्रण की थिमेटिक सटीकता	मेटाडाटा से सूचित किया जाना	मेटाडाटा से सूचित किया जाना

संभावित उपकरण एवं सुविधाएं

कुछ संभावित उपकरण निम्नलिखित हैं-

- भूमि उपयोग और शहरों का बेतरतीब फैलाव/वृद्धि की दिशा, शहरी भूमि उपयोग उपयुक्तता आकलन, भूमि जल आकलन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आकलन, जोखिम क्षेत्र निर्धारण आदि के लिए एकीकृत परिणाम तैयार करना, जो कि मास्टर योजना तैयार करने हेतु बुनियादी आंकड़े हैं।
- कार्यक्षेत्र योजना और क्षेत्रीय योजना हेतु आवंटन आकलन करना।
- सम्पत्ति कर, राजस्व, ट्रेफिक, सड़क, आदि जैसे शहरी प्रशासन अनुप्रयोग।
- विद्युत, टेलीकॉम और ट्रेफिक प्रबंधन हेतु उपयोगिता प्रबंधन और आकलन सॉफ्टवेयर।
- एनयूआईएस स्कीम डेटाबेसों से स्थानिक और क्षेत्र विशिष्ट आंकड़ों की सहज पुनःप्राप्ति हेतु अन्य शहरी प्रबंधन पूछताछ प्रकोष्ठ।

3 स्तरों में एनयूआईएस स्कीम की सहमति

मास्टर योजना (1:10000 पैमाने)		क्षेत्रीय योजना (1:2000 पैमाने)		उपयोगिता मानचित्रण (1:1000 पैमाने)	
स्थानिक	विशिष्ट	स्थानिक	विशिष्ट	स्थानिक	विशिष्ट
<p>(क) आरएस चित्रों/टोपो सीटों से:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शहरी भूमि उपयोग/भूमि शामिल किया जाना 2. भौगोलिक वर्णन 3. डीईएम (बाहरी नगर क्षेत्र के लिए) 4. भू-आकृति विज्ञान (बाहरी नगर क्षेत्र के लिए) 5. भूवैज्ञानिक अवसंरचना(बाहरी नगर क्षेत्र के लिए) 6. लीथोलॉजी (बाहरी नगर क्षेत्र के लिए) 7. जल निकास 8. मृदा(बाहरी नगर क्षेत्र के लिए) 9. सतही जल निकाय 10. सड़क 11. रेल 12. नहर 	<p>1. यूएलबी/राज्य टी एवं सीपीडी से प्राप्त किए गए विकासात्मक विशिष्टताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ क्षेत्रीय सेटिंग ▪ जनसंख्या अध्ययन (डेमोग्राफी) ▪ सामाजिक-आर्थिक विकास ▪ उद्योग ▪ भूमि उपयोग ▪ आवास एवं झुग्गी-झोंपड़ी ▪ ट्रैफिक और परिवहन ▪ सुविधाएं और सेवाएं ▪ पर्यावरण ▪ शासन 	<p>(क) एरियल फोटो से:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्वाइंट विशेषताओं की शहरी परत 2. लाइन विशेषताओं की शहरी नेटवर्क परत 3. बहुभुज विशेषताओं की शहरी भूमि कवर परत <p>(ख) मानचित्र का:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. नगर आयोजना जोन/वार्ड मानचित्र 5. शहरी सम्पदा जमा बंदी खाता 6. भूमि मूल्य आंकड़ा <p>(ग) एनयूआईएस स्कीम अनुप्रयोग से लिया गया मानचित्र(कार्य किए जाने वाला जीआईएस मॉडल):</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. शहरी भूमि उपयोग/शामिल की गई भूमि 	<ol style="list-style-type: none"> 1. शहर प्रशासन/टी एवं सीपीडी से प्राप्त विकासात्मक विशिष्टताओं (वार्ड आधार पर) को 1:10000 पैमाने के लिए निम्नानुसार दिया जाएगा। 2. इसके अतिरिक्त शहर/टी एवं सीपीडी रिकार्डों से निम्नलिखित को भी शामिल किया जाएगा <ul style="list-style-type: none"> ▪ विकास नियंत्रण विनियमन ▪ रिकार्डों/दस्तावेजों का प्राधिकार/अनुमोदन ▪ भूमि आवश्यकता ▪ उपलब्ध अवसंरचना ▪ भूमि स्वामित्व ▪ क्षतिपूर्ति ▪ स्कीम हेतु भूमि आवश्यकता ▪ पास्ट लैंड पूर्ण स्कीम ▪ शहरी जमाबंदी खाता ▪ क्षेत्र: संरचना सहित अथवा संरचना के बिना मूल प्लान, संरचना सहित अथवा 	<p>(क) एरियल फोटो से:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्वाइंट विशेषताओं की शहरी परत 2. लाइन विशेषताओं का शहरी नेटवर्क परत 3. बहुभुज विशेषताओं का शहरी भूमि कवर परत <p>(ख) जीपीआर सर्वेक्षणों/शहर रिकार्डों से मानचित्र:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. जल नेटवर्क 5. सिवरेज नेटवर्क 6. विद्युत नेटवर्क 7. दूरसंचार नेटवर्क 	<p>यथा अनुप्रयोग विशेषताएं-लेकिन प्रत्येक सुविधा के सभी विवरणों को शामिल करते हुए। (इसे यूएलबी और किसी अन्य अभिकरण के साथ परामर्श से विशेषताओं की सारणी के रूप में किया जाना है।) सुविधाओं के लिए विशेष डेटा सेटों, जिन पर सहमति बनी है, को यूएलबी/टी एवं सीपीडी द्वारा उपलब्ध कराया जाना होगा।</p>

<p>13. परिवहन प्रणाली (ख) प्राप्त किए जाने वाले शामिल किए गए मानचित्र:</p> <p>14. ढलान(नगर और बाहरी नगर क्षेत्र)</p> <p>15. भू-आकृति विज्ञान(नगर क्षेत्र के लिए)</p> <p>16. भूवैज्ञानिक अवसंरचना(नगर क्षेत्र के लिए)</p> <p>17. लीथोलॉजी(नगर क्षेत्र के लिए)</p> <p>18. मृदा(नगर क्षेत्र के लिए)</p> <p>19. सभी धरोहर स्थलों की अविस्थिति</p> <p>20. स्लम, अनधिवासी और अन्य खराब स्थिति वाले क्षेत्रों की अविस्थिति</p> <p>21. शहर नियोजन जोन/वार्ड मानचित्र</p> <p>22. ग्रामीण राजस्व सीमा</p> <p>23. भू-करमानचित्र</p> <p>24. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों/सुविधाओं की अविस्थिति</p>		<p>8. शहरी भूमि उपयोग परिवर्तन</p> <p>9. क्षेत्रीय योजना</p>	<p>संरचना के बिना अंतिम प्लॉट</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ मूल्य: संरचना सहित अथवा संरचना के बिना मूल प्लॉट, संरचना सहित अथवा संरचना के बिना विकसित अथवा अविकसित अंतिम प्लॉट, संरचना सहित मूल प्लॉट के मूल्य को कम करते हुए संरचना सहित अथवा संरचना के बिनाविकसित अथवा अविकसित अंतिम प्लॉट, संरचना के मूल्य को छोड़ते हुए विकसित अंतिम प्लॉट के वृद्धि मूल्य में से संरचना के मूल्य को छोड़ते हुए अविकसित अंतिम प्लॉट के मूल्य को घटाकर प्राप्त मूल्य ▪ अंतिम प्लॉट संख्या ▪ निवल मांग ▪ विकास लागत ▪ अधिग्रहण सम्पत्ति का विवरण ▪ अधिग्रहण हेतु व्यक्ति को दी गई क्षतिपूर्ति ▪ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 		
--	--	--	--	--	--

<p>25. भूकम्प केंद्र आंकड़े 26. अतीत में बाढ़ आने संबंधी आंकड़ा 27. भूमि मूल्य 28. मृदा गहराई 29. मृदा संरचना 30. मुख्य सुविधाओं (जल, डाक घर, टेलीकॉम, विद्युत, सिवरेज आदि।) की अवस्थिति</p> <p>(ग) एनयूआईएस स्कीम अनुप्रयोग से लिया गया मानचित्र (कार्य किए जाने वाला जीआईएस मॉडल):</p> <p>31. भूमि उपयोग परिवर्तन 32. शहरी उपयुक्तता 33. पर्यावरणीय संवेदनशीलता 34. जोखिम जोनेशन (भूकम्प, बाढ़, भूमि कटाव, आदि) 35. वायु प्रदूषण 36. जल प्रदूषण (सतह और भूमि जल) 37. पर्यटन विकास 38. परिवहन योजना 39. औद्योगिक योजना</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ जोनिंग विनियमन, ▪ भूमि अधिग्रहण मानक ▪ क्षतिपूर्ति ▪ विकास अधिकार का हस्तांतरण ▪ क्षतिपूर्ति ▪ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाने वाली उपलब्ध सुविधाएं ▪ क्षतिपूर्ति ▪ प्राधिकरण द्वारा किया गया भूमि निपटान विवरण ▪ निपटान लागत ▪ निपटान नियम ▪ निपटान हेतु अपेक्षित समय ▪ विकास लागत, ▪ उन एजेंसियों की सूची जिन्हें भूमि उपयोग हेतु विकास अधिकार दिए गए हैं। 		
--	--	--	--	--	--

40. जनसंख्या की धारा					
41. नियोजन परिदृश्य					
42. भूमि जल संभावना					
43. ढलान					
44. सड़क बफर जोन					
45. रेल स्टेशन बफर जोन					
46. जल निकाय और वाटरशेड बफर जोन					

- * थिमेटिक विशेषताएं एनएनआरएमएस मानकों के अनुरूप हैं और मानचित्रण गतिविधि द्वारा तैयार किया गया है। एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस की विशेष आंकड़ा हेतु स्कीम पर कार्य किया जाना आवश्यक है तथापि स्थानिक आंकड़ा (वार्ड वार) हेतु विशेष आंकड़ों को जोड़ने के लिए मुख्य कार्य को किया गया है।

एनयूओ डेटाबेस के लिए सूचक

मॉड्यूल सं.	मॉड्यूल और सूचक
1	<p>पृष्ठभूमि आंकड़े</p> <p><u>डी-1 भूमि उपयोग-</u> शहरी समूह में और/अथवा महानगर क्षेत्र में भूमि सतह (वर्ग कि.मी.) का उपयोग (क) औपचारिक आवास (ख) अनौपचारिक आवास (ग) व्यापार (घ) कृषि (ङ) सेवाएं (च) परिवहन (छ) अन्य (ज) कुल (झ) % संरक्षण क्षेत्र में किया गया है।</p> <p><u>डी-2-शहरी जनसंख्या-</u> (क) महानगर क्षेत्र, (ख) शहरी समूह में लिंग और उम्र समूह में कुल जनसंख्या। सूचक डी1 और डी2 से आवासीय घनत्व की गणना की जाती है।</p> <p><u>डी-3. वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर-</u> जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर जिसमें शहर में शुद्ध प्रवर्जन दर और स्वाभाविक वृद्धि दर शामिल होते हैं (महानगरीय क्षेत्र और शहरी समूह)।</p> <p><u>डी-4. स्त्री प्रधान परिवार-</u> शहर (शहरी समूह) में स्त्री प्रधान परिवार की संख्या और राष्ट्रीय स्तर पर और परिवारों की कुल संख्या से स्त्री प्रधान परिवारों का प्रतिशत।</p> <p><u>डी-5. औसत परिवार आकार-</u> कुल परिवार द्वारा कुल जनसंख्या को विभाजित करना।</p> <p><u>डी-6. गृह निर्माण दर-</u> घर की संख्या की वृद्धि का वार्षिक दर।</p> <p><u>डी-7. आय वितरण-</u> शहर (शहरी समूह) और राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग, आय सीमा और औसत आय के आधार पर परिवार की वार्षिक आय।</p> <p><u>डी-8 प्रति व्यक्ति शहर उत्पाद-</u> जनसंख्या द्वारा शहर उत्पाद को विभाजित करना।</p> <p><u>डी-9. आवास अवधि प्रकार-</u> निम्नलिखित वर्गों में परिवारों की संख्या क) स्वामित्व, ख) खरीददारी, ग) निजी किराए पर, घ) सामुदायिक आवास, ङ) आधे किराए पर, च) किराया मुक्त, छ) अनधिवासी किराया मुक्त, ज) अनधिवासी किराया भुगतान, झ) अन्य</p>

2	<p>माइयूल 1- सामाजिक-आर्थिक विकास</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>गरीब परिवार-</u> गरीबी रेखा के नीचे महिला प्रधान और पुरुष प्रधान परिवारों का प्रतिशत (स्थानीय रूप से परिभाषित गरीबी रेखा)। 2. <u>अनौपचारिक रोजगार-</u> नियोजित जनसंख्या का प्रतिशत जिनकी गतिविधि अनौपचारिक क्षेत्र का अंश है। 3. <u>अस्पताल के बिस्तर-</u> प्रति अस्पताल बिस्तर और व्यक्तियों की संख्या। 4. <u>पांच वर्ष की उम्र से नीचे मृत्यु दर -</u> अपने पांचवें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का प्रतिशत। 5. <u>जन्म के समय आयु संभाव्यता (वैश्विक शहरी सूचक डेटाबेस 1998 में)</u> 6. <u>वयस्क साक्षरता दर (वैश्विक शहरी सूचक डेटाबेस 1998 में)</u> 7. <u>स्कूल नामांकन दर (वैश्विक शहरी सूचक डेटाबेस 1998 में)</u> 8. <u>स्कूल कक्षा-</u> क) प्राथमिक स्कूल, ख) माध्यमिक स्कूल में प्रति स्कूल प्रति कक्षा स्कूल के बच्चों की संख्या। 9. <u>अपराध दर-</u> प्रति 1000 जनसंख्या पर सूचित अपराध की संख्या -क) हत्या, ख) चोरी, ग) बलात्कार के लिए
3	<p>माइयूल 2- अवसंरचना</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. <u>घरों में कनेक्शन की स्थिति-</u> निम्नलिखित से जुड़े घरों का प्रतिशत- क) जल, ख) सीवरेज, ग) विद्युत, और घ) टेलीफोन 11. <u>पेयजल पहुँच-</u> पेयजल पहुँच वाले परिवारों का प्रतिशत। पहुँच को निवास स्थान के 200 मीटर के भीतर स्थित सुरक्षित और पेयजल स्रोत वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। 12. <u>जल उपभोग-</u> सभी उपयोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर में जल का औसत उपभोग। 13. <u>जल का मध्य मूल्य-</u> वर्ष के उस समय जब जल सबसे महंगा होता है तब अमरीकी डालर में जल के प्रत्येक सौ लीटर के लिए भुगतान किया गया मध्य मूल्य
4	<p>माइयूल 3- परिवहन</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. <u>मॉडल विभाजन-</u> क) निजी कार, ख) रेलगाड़ी, ट्राम, ग) बस अथवा मिनी बस, घ) मोटर साइकल, ङ) साइकिल, च) पैदल, छ) अन्य माध्यम। 15. <u>मध्य यात्रा समय-</u> वर्क ट्रिप के लिए मिनट में औसत दैनिक समय। 16. <u>सड़क अवसंरचना संबंधी व्यय-</u> सड़क पर अमरीकी डॉलर में प्रति व्यक्ति व्यय। 17. <u>मोटर गाड़ी स्वामित्व-</u> प्रति 1000 जनसंख्या पर मोटर गाड़ी की संख्या।
5	<p>माइयूल 4- पर्यावरण प्रबंधन</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. <u>परिशोधित अपशिष्ट जल:</u> किसी भी रूप में परिशोधित किए जा रहे सभी

	<p>अपशिष्ट जल का प्रतिशत।</p> <p>19. <u>उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट</u>: प्रति व्यक्ति उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट, प्रतिवर्ष टन में।</p> <p>20. <u>ठोस अपशिष्ट के निपटान की पद्धति</u>: ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित तरिके से किया जाता है- क) स्वच्छ रूप से जमीन में दबा कर, ख) जलाकर, ग) खुले में जमाकर, ड) अन्य</p> <p>21. <u>नियमित ठोस अपशिष्ट संग्रह</u>: कुछ घरों में नियमित ठोस अपशिष्ट संग्रह सेवा है।</p> <p>22. <u>आवास का नष्ट होना</u>- विगत दस वर्षों से प्राकृतिक अथवा मानव सृजित आपदाओं से प्रति हजार घर के स्टॉक के अनुपात (%) को नष्ट किया गया है।</p>
6.	<p>माइयूल 5- स्थानीय प्राधिकरण</p> <p>23. <u>स्थानीय सरकार की प्रति व्यक्ति आय</u>: जनसंख्या (तीन वर्ष औसतन) द्वारा विभाजित महानगर क्षेत्र के लिए वार्षिक अमरीकी डॉलर में निधि का कुल स्थानीय सरकारी स्रोत, मूलधन और आवर्ति दोनों।</p> <p>24. <u>स्थानीय सरकार की प्रति व्यक्ति मूलधन व्यय</u>: महानगर क्षेत्र में सभी स्थानीय सरकारों द्वारा प्रति व्यक्ति अमरीकी डॉलर में मूलधन व्यय, औसतन विगत तीन वर्ष।</p> <p>25. <u>ऋण सेवा प्रभार अनुपात</u>: स्थानीय सरकारों द्वारा कुल व्यय के अनुपात के अनुसार बांड परिपक्वता सहित कुल मूलधन और पुनर्भुगतान किया गया ब्याज।</p> <p>26. <u>स्थानीय सरकारी कर्मचारी</u>: प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल स्थानीय सरकारी कर्मचारी।</p> <p>27. <u>कार्मिक व्यय अनुपात</u>: मजदूरी लागत संबंधी व्यय किए गए आवर्ति व्यय का अनुपात।</p> <p>28. <u>अनुबंधित आवर्ति व्यय अनुपात</u>: अनुबंध गतिविधि संबंधी किए गए आवर्ति व्यय का अनुपात।</p> <p>29. <u>सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाएँ</u>।</p> <p>30. <u>सरकार के उच्चतर स्तर द्वारा नियंत्रण</u>।</p>
7	<p>माइयूल 6- आवास</p> <p>31. <u>आय अनुपात में आवास दर</u>: आवासीय इकाई का मध्यस्थ मुक्त बाजार मूल्य और मध्यस्थ वार्षिक परिवार आय का अनुपात।</p> <p>32. <u>आय अनुपात में घर किराया</u>: आवासीय इकाई का मध्यस्थ वार्षिक किराया और किरायेदार की मध्यस्थ वार्षिक परिवार आय का अनुपात।</p> <p>33. <u>प्रति व्यक्ति फ्लोर क्षेत्र</u>: प्रति व्यक्ति (m²) मध्यस्थ उपयोग-योग्य रहने का स्थान।</p> <p>34. <u>स्थायी संरचनाएं</u>: सामान्य अनुरक्षण सहित स्थानीय स्थिति के तहत 20 वर्ष</p>

अथवा अधिक समय तक उनके स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपेक्षित संरचनाओं में स्थित गृह इकाइयों का प्रतिशत।

35. आवास अनुपालन: वर्तमान विनियमनों के अनुपालन में कुल आवासों का प्रतिशत।

36. भूमि विकास गुणक: विशिष्ट सब डिविजन के शहरी सीमांत में विकसित प्लॉट के मध्यस्थ भूमि दर और विकसित किए जा रहे वर्तमान क्षेत्र में आयोजना अनुमोदन सहित कच्चे, अविकसित भूमि के मध्यस्थ मूल्य के बीच औसत अनुपात।


37. अवसंरचना व्यय: वर्तमान में अवसंरचना सेवा (सड़क, सीवरेज, जलनिकास, जलापूर्ति, विद्युत और कुड़ा संग्रह) संबंधी सरकार के सभी स्तरों द्वारा कुल व्यय (प्रचालन, अनुरक्षण और मूलधन) का अनुपात।

38. ऋण और बंधक अनुपात: वाणिज्यिक और सरकारी वित्तीय संस्थानों में सभी बकाया ऋण के लिए कुल गिरवी ऋण का अनुपात।

39. आवास सृजन: प्रति 1000 जनसंख्या पर पिछले वर्ष तैयार आवास इकाइयों (औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों में) की कुल संख्या।

40. आवास निवेश: सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार आवास (औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों में) कुल निवेश।

एनयूआईएस योजना के अंतिम वितरण योग्य



एनयूआईएस योजना चरण-I बजट

क्र.सं	शहरी स्थानिक सूचना प्रणाली (यूएसआईएस)											राष्ट्रीय शहरी डेटाबैंक बैंक और संकेतक (एनयूडीबी और आई)										
	कवरेज श्रेणी	यूए और कस्बों की सं.	प्रणाली		जीआईएस डेटाबेस 1:10,000 स्केल		जीआईएस डेटाबेस 1:2,000 स्केल		क्षमता निर्माण		सुविधा मानचित्रण	अनुप्रयोग विकास	विविध (लाख रु में)	परियोजना प्रबंधन	कुल योग (लाख रु. में)	राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी एवं समीक्षा (लाख रु. में)	क्षेत्रीय फ्लैश गेम ऑप्स (लाख रु. में)	राज्य एनयूडीबी और आई (लाख रु. में)	NUO- 137 कस्बों (लाख रु. में)	16 वैश्विक नमूना शहरों के लिए एनयूओ डेटाबेस - यूएनसीएचएस (लाख रु. में)	कुल एनयूडीबी और आई (लाख रु. में)	कुल योग (लाख रु. में)
			इकाई लागत (लाख रु में)	कुल लागत (लाख रु में)	मानचित्र बनाने के लिए क्षेत्र (वर्ग। किमी।)	कुल लागत @ रु। 3000/ वर्ग किमी (लाख रु में)	मानचित्र बनाने के लिए क्षेत्र (वर्ग। किमी।)	कुल लागत @ रु। 15000/ वर्ग किमी (लाख रु में)	इकाई लागत (लाख रु में)	कुल लागत (लाख रु में)												
1	2	5	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	35 राज्य नोडल एजेंसी- नगर नियोजन विभाग		20	700																		
	137 एनयूआईएस नगर		5.0	685																		
2	महानगरीय शहर	22			24814.05	744.42	5955.37	893.31	1	22.00	606.00	350	50.00	100.00		10.00	8.00	168.00	137.00	16.00	339.00	
3	श्रेणी I नगर	77			26903.75	807.11	6456.9	968.54	1	77.00												
4	श्रेणी II से VI नगर	38			4037.65	121.13	969.04	145.36	0.5	19.00												
5	कुल	137		1385	55755.45	1672.66	13381.31	2007.20		118.00	606.00	350.00	50.00	100.00	6288.86	10.00	8.00	168.00	137.00	16.00	339.00	6627.86
7	प्रतिशत वितरण घटक वार			20.90		25.24		30.28		1.78	9.14	5.28	0.75	1.51	94.89	0.15	0.12	2.53	2.07	0.24	5.11	100.00

एनयूआईएस योजना में राज्य हिस्सा के लिए मापदंड (घटक वार)

क्रम संख्या	व्यय का मद	आकलन हेतु प्रावधान/इकाई	मात्रा	लागत (लाख रुपए)	राज्य हिस्सा (लाख रुपए) और % से कुल लागत	कुल लागत (लाख रुपए)	घटक वार राज्य हिस्से के लिए मानदण्ड
(क) यूएसआईएस							
1	कम्प्यूटर प्रणाली (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर)	5 लाख रुपए प्रति नगर	137 प्रणालियाँ	685.00	500.75 (36%)	1385.00	- प्रति नगर वार प्रावधान से लिए गए प्रत्येक राज्य के तहत कुल राशि का 25% विशेष राज्य में नगरों की संख्या अर्थात
		20लाख प्रति राज्य नोडल अभिकरण	35 प्रणालियाँ	700.00			- राज्य विशेष में सभी नगरों के प्रावधान की राशि X 0.25
2	जीआईएस आंकड़ा आधार 1:10,000 पैमाने पर	नगरों का भू-लेखाचित्रीय क्षेत्र 3000/ रुपए/- वर्ग कि. मी. की इकाई दर	कुल क्षेत्र 55755.45 वर्ग किमी. - 137 नगर	1672.66	418.17 (25%)	1672.66	- प्रति राज्य कुल लागत का 25% अर्थात
3	जीआईएस आंकड़ा आधार 1:2,000 पैमाने	नगरों का भू-लेखाचित्रीय क्षेत्र 15,000/ रुपए/वर्ग किमी की इकाई दर	कुल क्षेत्र 13381.31 वर्ग किमी - 137	2007.20	501.80 (25%)	2007.20	- राज्य विशेष में सभी नगरों के क्षेत्र की राशि X 0.25

			नगर				
4	सुविधा मानचित्रण (24 शहर)	औसत रेखीय लंबाई में नगर श्रेणी वार -6000 रुपए/रेखीय किमी.	4 शहर	216.00	151.50 (25%)	606.00	<ul style="list-style-type: none"> - राज्य विशेष में नगरों की कुल संख्या की लागत (नगर श्रेणी पर आधारित) का 25% अर्थात - राज्य विशेष में नगरों के मानचित्रण की लागत X 0.25
		मेट्रो-900 कि.मी. औसत रेखीय लंबाई	18 शहर	378.00			
		श्रेणी-I -350कि.मी. औसत रेखीय लंबाई	2 शहर	12.00			
5	क्षमता निर्माण	श्रेणी I और उससे ऊपर के लिए नगर श्रेणी वार 1.00 लाख रुपए	99 शहर	99.00	साझा लागत	118.00	<ul style="list-style-type: none"> - राज्य विशेष में नगरों की कुल संख्या की लागत (नगर श्रेणी पर आधारित) का 25% अर्थात - राज्य विशेष में सभी शहर के प्रावधान की राशि X 0.25
		श्रेणी II से VI तक के लिए 0.5 लाख रुपए	38 शहर	19.00			
6	अनुप्रयोग विकास	अनुप्रयोग विकास के तहत % राशि (नगर के % क्षेत्र के अनुरूप) से अनुप्रयोग विकास के तहत कुलराशि	137 शहर	350.00	साझा लागत	350.00	<ul style="list-style-type: none"> - राज्य विशेष में शहरों के अनुपात के कुल क्षेत्र के अनुरूप राज्य विशेष में नगरों की कुल राशि का 25% अर्थात
7	विविध	विविध के तहत % राशि (नगर के % क्षेत्र के अनुरूप) से विविध के तहत कुलराशि	137 शहर	50.00	साझा लागत	50.00	<ul style="list-style-type: none"> - विशेष राज्य में सभी शहर की राशि का कुल % क्षेत्र/कुल प्रावधान
8	परियोजना प्रबंधन	परियोजना प्रबंधन के तहत % राशि (नगर के % क्षेत्र के अनुरूप) से परियोजना प्रबंधन के तहत कुलराशि	137 शहर	100.00	साझा लागत	100.00	

	(क) यूएसआईएस				1572.21	6288.86	
(ख) एनयूडीबीएंडआई							
1	राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी एवं समीक्षा	कार्यशालाएं/संगोष्ठियां के तहत % राशि (नगर के % क्षेत्र के अनुरूप) से कार्यशालाएं/संगोष्ठियां के तहत कुलराशि		10.00			- राज्य विशेष में शहरों के अनुपात के कुल क्षेत्र के अनुरूप राज्य विशेष में नगरों की कुल राशि का 25% अर्थात
2	क्षेत्रीय कार्यशालाएं			8.00	4.50 (25%)	18.00	- विशेष राज्य में सभी शहर की राशि का कुल% क्षेत्र/कुल प्रावधान
3	राज्य एनयूडीबी और आई	रु 6 लाख में/बड़े एवं अन्य राज्य	21 राज्य	126.00	42.00 (25%)	168.00	- राज्य वर्ग पर आधारित राज्य के प्रति प्रावधान का 25% अर्थात
		रु 3 लाख में/बड़े एवं अन्य राज्य	14 राज्य	42.00			- X 0.25 राज्य प्रति प्रावधान
	एनयूओ (137 शहर)	रु. 1.00 लाख/शहर	137 शहर	137.00	34.25 (25%)	137.00	- राज्य विशेष में नगरों की कुल संख्या की लागत (नगर श्रेणी पर आधारित) का 25% अर्थात
	वैश्विक नमूना शहर-यूएनसीएचएस	रु. 1.00 लाख/शहर	16 शहर		4.00 (25%)	16.00	-
	(ख) कुल एनयूडीबी और आई				84.75	339.00	
	(क + ख) कुल यूएसआईएस एवं एनयूडीबी और आई				1656.96	6627.86	

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनयूआईएस स्कीम का परिणाम

एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस के संबंध में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत लक्षित सुधार निम्नलिखित हैं:

- i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करना (वास्तविक विकास योजनाएं)
- ii) 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामले के संबंध में कार्य और स्कीमों सहित उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों का निष्पादन और स्कीमों का कार्यान्वयन, (नीचे दिए गए अनुसार स्थानिक आंकड़ों के उपयोग की अनुमति देते हुए मात्र चयनित कार्यों पर ही विचार किया जाएगा)

एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस का उपयोग करते हुए चयनित 12वीं अनुसूची के नगर पालिका कार्य

1. घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति;
2. जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षणीयता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3. सड़क और पुल;
4. पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसे शहरी जन सुविधाओं और सहूलियतों का प्रावधान;
5. स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थान, बस स्टॉप और जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं;
6. शहरी वानिकी, पर्यावरणीय पहलुओं का संरक्षण और पारिस्थिकीय पहलुओं का प्रोत्साहन।
7. झुग्गी-झोंपड़ी सुधार और उन्नयन
8. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन,
9. भूमि उपयोग और भवन निर्माण का विनियमन
10. अग्नि-शमन सेवा।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों द्वारा यूएलबी को उपर्युक्त कार्यों में से कम से कम पाँच कार्य, जैसा कि दर्शाया गया है, सौंपे जाएंगे।

एनयूआईएस योजना के लिए क्षमता निर्माण योजना


कोर्स विवरण	कोर्स कोड		
	एनएनआरएमएस एनयूआईएस-1	एनएनआरएमएस एनयूआईएस-1	एनएनआरएमएस एनयूआईएस-1
कोर्स शीर्षक	एनयूआईएस की तकनीकी अभिविन्यास	एनयूआईएस की योजना मूल्यांकन	एनयूआईएस की एनयूआईएस पर ओरिएंटेशन कोर्स
लक्षित समूह	श्रमजीवी स्तर जूनियर/सहायक नियोजक/सहायक निदेशक/सहायक अधिकारी और अनुरूप पद	पर्यवेक्षी स्तर वरिष्ठ/एसोसिएट टाउन प्लानर्स, उप निदेशक, वरिष्ठ योजना अधिकारी और अनुरूप पद	निर्णय निर्माता मुख्य योजनाकार/उपाध्यक्ष/उप सचिव/प्रशासक और अनुरूप पद नगर पार्षद
अवधि	4 सप्ताह	2 सप्ताह	3 दिन
पाठ्यक्रम सामग्री	हवाई फोटो/रिमोट सेंसिंग: व्याख्या और सुदूर संवेदन के मूल तत्व: इमेज व्याख्या के मूल तत्व डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग तकनीक शहरी और क्षेत्रीय योजना में आवेदन <u>जीआईएस:</u> अवधारणा डेटा तैयारी स्थानिक डेटा विश्लेषण शहरी और क्षेत्रीय योजना के लिए आवेदन <u>जीपीएस:</u> योजना के लिए मूल तत्व अनुप्रयोग परियोजना कार्य:	हवाई फोटो/रिमोट सेंसिंग: क्षेत्रीय और शहरी योजना के लिए मूल तत्व आवेदन <u>जीआईएस:</u> अवधारणा डेटा तैयारी स्थानिक डेटा विश्लेषण शहरी और क्षेत्रीय योजना के लिए आवेदन जीपीएस: अवधारणा	शहरी/क्षेत्रीय योजना के लिए आरएस, जीआईएस, जीपीएस के मूल तत्व एवं आवेदन
एनयूआईएस पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संभव संगठन	<u>आईआईआरएस, देहरादून एनआरएसए, हैदराबाद आईआरएस-ए.यू., चेन्नई एसटीआई (एसओआई), हैदराबाद आरआरएसएससी</u>	<u>आईआईआरएस, देहरादून, एसएसी, अहमदाबाद, आईआरएस-एयू, चेन्नई</u>	<u>आईआईआरएस, देहरादून, आईआरएस-एयू, चेन्नई</u>

तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की अंतरिम संरचना

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एम. राजमणि, आईएएस	संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001
2.	श्री राजेश के. चतुर्वेदी	निदेशक (आईटी), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001
3.	श्री के. टी. गुरुमुखी	मुख्य योजनाकार, टीसीपीओ, संगठन (टीसीपीओ), 'ई' ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
4.	श्री एस. सुरेंद्र	नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ), 'ई' ब्लॉक, विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
5.	श्री जैनदर सिंह	सलाहकार, आवास एवं शहरी विकास, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली -110001
6.	ब्रिगेडियर गिरीश कुमार	उप महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून
7.	ब्रिगेडियर एम.वी. भट्ट	अपर महासर्वेक्षक (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय सर्वेक्षण, हाथीबरकला, देहरादून-248001
8.	डॉ. वी. राघवस्वामी	समूह निदेशक, एनआरएसए (डीओएस), बालानगर, हैदराबाद-500037
9.	डॉ जे. कृष्णमूर्ति	कार्यक्रम समन्वयक, एनआरआर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), बंगलौर - 94
10.	डॉ एस.के. पठान	प्रमुख भूमि उपयोग योजना और फोटोग्राफी, प्रभाग, एसएपी, इसरो, अहमदाबाद
11.	बी.एस. सोखी	प्रमुख, मानव बस्ती विश्लेषण समूह, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून
12.	प्रोफेसर महावीर	नियोजक के प्रोफेसर, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, 4-ए, रिंग रोड, इंद्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली -110002
13.	डॉ बी.के. गैरोला	उप महानिदेशक (जीआईएस), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, परिसर ब्लॉक सीजीओ, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
14.	श्री एस.डी. लेंज	निदेशक, नगर नियोजन एवं मूल्यांकन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय भवन, पुणे 411001

15.	श्री पी.आर. भावीस्कार	वरिष्ठ भूभौतिकीविद्, कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण, कोलकाता
16.	श्री वी.एम. हेगड़े	निदेशक, नगर नियोजन विभाग, कर्नाटक सरकार, एम.एस. भवन परिसर, 4 स्टेज, अम्बेडकर विधि, बंगलौर।
17.	श्री एस.सी. महागौंकार	मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर नियोजन भवन, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान - 302004
18.	श्री वी.आर. सतीश चंद्र	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 640, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद-500004।
19.	श्री एन.आर. वर्मा	मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7, बंदरीया बाग, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश सरकार।
20.	श्री के. एम. पांचाल	मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन एवं मूल्यांकन विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक नंबर 14, द्वितीय तल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर, गुजरात-382010
21.	श्री वी. गोपालकृष्ण पिल्लई	मुख्य नगर नियोजक, ग्रेटर कोच्चि विकास प्राधिकरण (जीकेडीए), कडवंतरा रोड, कोच्चि, केरल 682020
22.	श्री डी. के. शर्मा	अपर निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय, शेड नंबर 1, टी. टी. नगर (उत्तर), मध्य प्रदेश, भोपाल सरकार।
23.	श्री बी. के. पांडा	निदेशक, शहरी मामलें विभाग, मेघालय सरकार, रायटोंग भवन, शिलांग, मेघालय।

राज्य नोडल एजेंसी को एनयूआईएस योजना प्रकोष्ठ की संकेतक संरचना



निदेशक/सीटीपी/सीईओ = निदेशक/मुख्य नगर नियोजक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एसोसिएट टीसीपी = एसोसिएट टाउन एंड कंट्री प्लानर

सहायक टीसीपी = सहायक टाउन एंड कंट्री प्लानर

प्लानिंग एसोसिएट = योजना सहायक



प्लानिंग डी. मैन = योजना ड्राफ्ट्समैन

एसआरओ = वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी


आरओ = अनुसंधान अधिकारी

आरए = रिसर्च एसोसिएट


परियोजना संगठन



द्वारा समर्थित



दिशानिर्देशों का प्रवाह, मानक, सुझाव एवं तकनीकी सहायता



तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु निजी क्षेत्र के साथ आपसी चर्चा



स्थानिक और विशेषता संबंधी डाटाबेस का प्रवाह

अनुलग्नक-XXIII नीति संबंधी मुद्दे

- सरकार द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय अभिकरणों से उपग्रह चित्र अधिप्राप्त किए जाएंगे।
- प्राधिकृत राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा एरियल सर्वेक्षण किया जाएगा।
- सरकारी अभिकरणों के परिसर में ही मानचित्रण का कार्य किया जाएगा।
- जीआईएस आंकड़ा आधार का सृजन केवल सरकारी अभिकरण के परिसर में ही किया जाएगा।
- निजी अभिकरणों को मानचित्रण के विशेष कार्य का ठेका दिया गया था और सरकारी मन्दण्डों के अनुसार जीआईएस डेटाबेस का चयन किया जाएगा। ये अभिकरण केवल सरकारी अभिकरण परिसर में ही कार्य करेंगे।
- सरकार के प्राधिकृत व्यक्तियों, शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा ही सभी चित्रों, मानचित्रों, जीआईएस डेटाबेस का कार्य किया जाएगा।
- एनयूआईएस तक निजी पहुँच, सरकार की नीतियों के अनुसार होगी।
- उपयुक्त सरकारी अभिकरणों (एमओडी आदि) से स्वीकृति के पश्चात एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस की नेटवर्किंग का कार्य किया जाएगा।
- सरकारी नेटवर्क पर ही एनयूआईएस की कोई नेटवर्किंग होगी।
- नगरों, राज्य, टीसीपीओ/शहरी विकास मंत्रालय आदि में उपयुक्त फायरवाल और सुरक्षा का निर्माण एनयूआईएस स्कीम में ही किया जाएगा और सुरक्षित प्रवेश विकसित किया जाएगा। मात्र प्राधिकृत व्यक्ति ही नेटवर्क में प्रवेश कर सकेंगे।
- एनयूआईएस स्कीम डेटाबेस (सार्वजनिक क्षेत्र के लिए) के सार्वजनिक पृष्ठ को अलग से रखा जाएगा और इसकी छानबीन की जाएगी, स्वीकृति दी जाएगी और इसमें सीमित सामग्री होगी।
